झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची

वार्षिक प्रतिवेदन
2017–18

(01.04.2017 – 31.03.2018)

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	आयोग	03
2.	हमारे अध्यक्ष – सम्माननीय डॉ० अरबिन्द प्रसाद	07
3.	माननीय श्री रबोन्द्र नारायण सिंह, सदस्य (तकनीकी) की लोकछवि	09
4.	आयोग का उद्देश्य	11
5.	आयाग के कर्त्तव्य और जिम्मेदारियाँ	11
6.	आयोग के विनियमन	12
7.	शुल्क का निर्धारण	14
8.	सूचना का प्रसार	14
9.	राज्य परामर्शदात्री समिति (रा०प०स०)	14
10.	विद्युत आपूर्ति नियमावली समीक्षा चयनक समिति का संविधान	18
11.	वर्ष 2017–18 में पारित किए गए प्रमुख निर्णय/विनियमन	19
12.	अन्य नियामकों जैसे एफ ओ आर, एफ ओ आई आर, एफ ओ आर ई एन एस, एस ए एफ आई आर, अंतरराष्ट्रीय नियामक मंच, सी आई जी आर ई इत्यादि के साथ पारस्परिक विचार विमर्श	35
13.	उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र	35
14.	विद्युत लोकपाल	37
15.	वृतान्त एवं कार्यक्रम	38
16.	आयोग का कामकाज	46
17.	लेखांकन	47
18.	वार्षिक प्रतिवेदन समिति	48
19.	अनुलग्नक – I	49
20.	अनुलग्नक – II	53
21	अनुलग्नक – III	54
22	अनुलग्नक – IV	54

1. आयोग

1.1 झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा०एस०ई०आर०सी०) का गठन वर्ष 2002 में झारखण्ड सरकार द्वारा नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अनुरूप किया गया और अध्यक्ष के शपथ लेने के उपरांत 24 अप्रल 2003 से परिचालित हुआ।

1.2 आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य ह। रिर्पोट के समपण वर्ष के दौरान 65 वर्ष की आयु पूरा करने तक माननीय न्यायाधीश एन०एन० तिवारी, अध्यक्ष, झा०एस०ई०आर०सी० ने 22 मई 2017 तक अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन किया। तत्पश्चात डा0 अरबिन्द प्रसाद (आई०ए०एस०), झा०एस०ई०आर०सी० के अध्यक्ष पद पर 17.07.2017 को नियुक्त हुए, जिन्हें झारखण्ड को राज्यपाल महामहिम श्रीमतो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।

झारखण्ड की राज्यपाल महामहिम श्रीमति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष माननीय डा० अरविन्द प्रसाद पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए।

1.3 आयोग का कार्यालय

झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड विद्युत नियामक आयोग को अपने कार्यालय निर्माण के लिए हिनू, राँची में 0.78 एकड़ भूमि आवंटित किया है। झारखण्ड सरकार ने फरवरी 2012 में झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीएचसीएल), राँची, को ग्रीन भवन परियोजना का कार्य एवं आयोग के प्रस्तावित कार्यालय भवन के निर्माण का विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जेपीएचसीएल ने भवन निर्माण योजना और विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डीपीआर) तैयार कर और प्रशासनिक व तकनीको स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा है। तत्पश्चात सरकार द्वारा एजेंसी बदल दी गयी और इस कार्य का पूर्ण करने की जिम्मेवारी झारखण्ड

राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (जेएसबीसीसीएल) को सौंपी गई, जिसने भवन निर्माण परियोजना व डीपीआर में संशोधन कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है। यह विषय सरकार की प्राथमिकता में है।

वर्तमान में झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, सैनिक बाजार, मेन रोड, राँची में स्थित राजेन्द्र जवान भवन के किराए के परिसर में काम कर रहा है, जो शहर के केन्द्र में है।

उद्देश्य वक्तव्य

आयोग थोक ऊर्जा बाजारों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, निवेश को बढ़ावा देने का इरादा रखता है और मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को पाटने व उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बाधाओं को हटाने के लिए सरकार को सलाह देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आयोग के निम्नलिखित लक्ष्य है :–

- एक कुशल शुल्क व्यवस्था का प्रतिपादन व समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करना, त्वरित व समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करना, थोक ऊर्जा और संप्रषण सेवाओं के मूल्य निर्धारण में प्रतिस्पर्धा, अल्पव्यय और दक्षता को बढ़ावा देता है तथा कम से कम लागत निवेश सुनिश्चित करता है।
- अन्तर राजकीय संप्रषण का खुले तौर पर उपयोग को सरल बनाना।
- अन्तर राजकीय व्यापार को सरल बनाना।
- ऊर्जा बाजार के विकास को बढ़ावा देना।
- सभी हितधारकों के लिए सूचना पहुँच में सुधार करना।
- थोक ऊर्जा एवं संप्रषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धा के विकास के लिए आवश्यक तकनीको व संस्थागत परिवर्तन को सरल बनाना।
- पर्यावरण बचाव और सुरक्षा चिंताओं एवं मौजूदा विधायी आवश्यकताओं के दायरे के अंतर्गत पूंजी व प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास की बाधाओं को दूर करने हेतु सलाह देना, जो कि बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पहला कदम है।

1.4 मार्गदर्शक सिद्धांत

अपने लक्ष्य वक्तव्य एवं इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आयोग निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करता है :–

- प्रतिभागियों को पर्याप्त एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से लाए गए मतभेदों के निवारण में न्यायसंगत बने रहना।
- एक तरफ विचारों मे निरंतरता बनाकर नियम निश्चितता बनाए रखना और दूसरी तरफ उद्विकासी ऊर्जा क्षेत्र में बदलावों के अपनाने हेतु खुला विचार रखना।

- यह सुनिश्चित् करने के लिए कि नियम हिस्सेदारों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, अपने नियमों के निर्माण में एक हिस्सेदारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया को अपनाना।
- विनियामक एवं बाजार आधारित तंत्र का उपयोग का ऊर्जा क्षेत्र में संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन को सुनिश्चित् करना।
- ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय स्त्रोतों को बढ़ावा देकर सतत विकास को प्रोत्साहित करना।

1.5 उपभोक्ताओं के लाभ और ऊर्जा क्षेत्र के विकास के संदर्भ में नियामक प्रक्रियाओं का परिणाम

उपभोक्ताओं को लाभ

झा०एस०ई०आर०सी० के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से एक, उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्त्ताओं समेत, नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है, साथ ही सभी हितधारकों के प्रति निष्पक्ष, पारदर्शी और तटस्थ बने रहना है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए झा०एस०ई०आर०सी० द्वारा की गई पहल को नीचे सूचीबद्ध किया गया हैः

a) पर्यावरण सुरक्षा के लिए हरित ऊर्जा

पर्यावरण सुरक्षा के लिए हरित ऊर्जा सक्षम प्रावधान बनाए गए जिसके आधार पर संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मौजूदा ऊष्मीय शक्ति संयत्रों के परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के आधार पर उत्पादन को बढ़ाया जाना था।

b) ऊर्जा की गुणवत्ता

विद्युत वितरण तंत्र अनुशासन के खिलाफ निवारक के रूप में कठोर अनुसूचित विनिमय शुल्क तय करता है। विद्युत वितरण तंत्र अनुशासन के लिए संप्रषण उपयोगिता/भार प्रषक के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी होगी।

c) हरित ऊर्जा का प्रचार

- ❖ हरित ऊर्जा प्राकृतिक अक्षय स्त्रोत जैसे सूर्य, पवन, जल, ज्वार, पादपों, शैवाल एवं भूगर्भ ताप से उत्पन्न की जाती है। ये ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय हैं, अर्थात् समय के साथ इनको क्षतिपूर्ति होती है। इसके विपरीत, जीवाश्म ईंधन एक सीमित संसाधन है, जिसके विकसित होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और जो लगातार उपयोग से कम होता जाता है।
- ❖ जीवाश्म ऊर्जा की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का पर्यावरण पर अत्यन्त ही कम हानिकारक प्रभाव डालते है। जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैस बनाते हैं जिसके कारण जलवायु में हानिकारक प्रभाव देखे जा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने के लिए आमतौर पर खनन या पृथ्वी की गहरी भेदन करनी पड़ती है, जो कि अक्सर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं।

- वहीं, हरित ऊर्जा, उन ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करती है जो पूरी दुनिया में आसानी से उपलब्ध हैं और उन ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भी उपलब्ध हैं, जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगातार हो रहे तकनीकी सुधारों के कारण सौर पैनलों, पवन चक्कों एवं हरित ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों की कीमतों में कमी आई है, जिसके कारण तेल, गैस, कोयला व अन्य कंपनियों के स्थान पर लोगों के हाथों में विद्युत उत्पादन करने की क्षमता का विकास हो रहा है।
- हरित ऊर्जा सभी मुख्य क्षेत्रों जैसे विद्युत उत्पादन, जल व अंतरिक्ष ताप और वाहनों के लिए ईंधन में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकती है।

2. हमारे अध्यक्ष – सम्माननीय डॉ० अरबिन्द प्रसाद

डॉ० अरबिन्द प्रसाद को झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा०एस०ई०आर०सी०) के अध्यक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ दिनांक 17.07.2017 को झारखण्ड की राज्यपाल महामहिम श्रीमतो द्रापदी मुर्मू ने दिलाई।

डॉ० अरबिन्द प्रसाद मई 2012 से मई 2016 तक भारतीय वाणिज्य मण्डल और उद्योग संघ (एफआईसीसीआई) के महानिदेशक रहे है। उन्होंने इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया और भारतीय तकनीकी ब्यूरो की कार्यकारी समिति और सोएजी के लेखापरीक्षा सलाहकार बोड पर दिल्ली तकनीको विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य रहे है।

डॉ० अरबिन्द प्रसाद को भारत सरकार और बिहार राज्य सरकार में एक आईएएस अधिकारी (सितंबर 1980 से अप्रल 2012) के रूप में 30 वर्षो से ज्यादा का काम करने का अनुभव प्राप्त है। भारत सरकार में, उन्होंने एक वरिष्ठ सलाहकार (शक्ति और ऊर्जा), योजना आयोग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर काम किया। वे न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) एवं भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भानाविलि) के निदेशक मण्डल में भी कार्यरत थे।

राज्य सरकार में, विभिन्न अन्य कार्य के अलावा, उन्होंने ऊर्जा विभाग तथा संस्थागत वित्त विभाग एवं योजना कार्यान्वयन में सरकार के सचिव, के रूप में कार्य किया। उन्होनें पटना के प्रभागीय आयुक्त तथा पटना एवं सहरसा के जिला दण्डाधिकारी के रूप में भी कार्य किया है।

वे "ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल चेंज (एलएनएमआई) के निदेशक भी रहे।

डॉ० प्रसाद ने आईआईटी, कानपुर (1974–79) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया तथा येल विश्वविद्यालय, यूएसए से 1994–98 के दौरान स्नातकोत्तर एवं पीएचडी (प्रबंधन) किया।

उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सर्वोत्तकृष्ट छात्र घोषित किया गया और आईआईटी, कानपुर द्वारा उन्हें स्वण पदक से सम्मानित किया गया था। यल विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने यल विश्वविद्यालय फलोशिप प्राप्त किया।

डॉ० प्रसाद ने भारत के आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक सुधारों की नीति एवं नीतियों से संबंधित विषयों पर अनेकों लेख प्रकाशित किए हैं।

3. माननीय श्री रवीन्द्र नारायण सिंह, सदस्य (तकनीकी) की लोकछवि।

माननीय श्री आर एन सिंह सदस्य (तकनीको), झा०एस०ई०आर०सी०, राँची, का जन्म 10 जनवरी 1956 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1981 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और आईआईएम, राँची से पीजीडीएम (कार्यपालक) इन ऑपरेशल रिसर्च की डिग्री प्राप्त की।

उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अल्पावधि के लिए व्याख्याता के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक कार्यकारी अभियंता का पदभार संभाला और उसके बाद झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (वर्तमान में जयूएसएनएल) में मुख्य अभियंता के सर्वोच्च पद पर असीन हुए। अपने 32 वषो के कार्यकाल में उन्होने विभिन्न विभागों जैसे विद्युत उत्पादन, संप्रषण, संरक्षण व निर्माण कायो में अपना योगदान दिया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने उनकी लगन एंव उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रशंसा प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया।

उन्होन पॉवर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी (भारत सरकार का उपक्रम) बदरपुर, (210 MW थर्मल पावर का सीमुलेटर ट्रेनिंग), नैवेली एव तूतीकोरिन (तमिलनाडू) द्वारा संचालित छः महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया।

वे आईआईएम, राँची द्वारा आयोजित ''इनक्लजिव एण्ड इम्पेक्टफुल सीएसआर'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। सतत विकास के विषय पर अल्पकालीन पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए रियो+20 इंडिया प्रमाणपत्र कार्यक्रम के सफल समापन पर उन्हें उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र दिया गया है।

उन्हें प्रबंधन अनुरूपण, यूएसए की ओर से भागीदारी और कैप्सटन व्यापार अनुरूपण कार्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र मिला। उन्होंने **स्मार्ट ग्रीड** प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भागीदारी की।

दुमका (ट्रासमिशन जोन) के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता के पद पर रहते हुए कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण, दृढ़ नेतृत्व व असाधारण कौशल के द्वारा उन्होंने इंटर–स्टेट ईएचटी लाइन, रूपनारायणपुर–दुमका तथा अन्य लाइनों के साथ साथ ग्रिड सबस्टेशनों को समय पर पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिकूल परिस्थिति में भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड द्वारा उन्हें सराहना पत्र से सम्मानित किया गया।

4. आयोग के उद्‌देश्य

आयोग से झारखण्ड राज्य में विद्युत उद्योग के विकास के लिए उचित कदम उठाने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा शुल्क का तर्क संगतकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

5. आयोग के कर्तव्य तथा जिम्मेदारियाँ

राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्य विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 84 में दिये गये है, जो निम्नलिखित है:–

1. राज्य आयोग को –

   a) विद्युत उत्पादन–दर, आपूर्ति, संप्रषण और विद्युत के वितरण के लिए थोक एवं खुदरा (जैसा भी मामला हो) राज्य के अन्दर शुल्क निर्धारण करना होगा। बशर्ते कि धारा 42 के तहत वैसे उपभोक्ताओं की एक श्रेणी, (यदि कोई हो तो) जिन्हें खुले उपयोग की अनुमति दी गई है, राज्य आयोग उन पर केवल वितरण और अधिभार शुल्क निर्धारित करेगा।

   b) वितरक लाइसेंस धारकों द्वारा विद्युत खरीद और खरीद प्रक्रिया विनियमित करगा, साथ ही उत्पादक कम्पनियों या अन्य लाइसेंसधारकों या अन्य स्रोतों से अनुज्ञप्तिपत्रों द्वारा राज्य के अन्दर विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति के लिए विद्युत के खरीद के मूल्य को निर्धारित करना होगा।

   c) अंतर राजकीय विद्युत संप्रषण एंव विद्युत वितरण की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

   d) राज्य के भीतर उन व्यक्तियों को जो सप्रषण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी एवं विद्युत व्यापारी के रूप में कार्य करना चाहते है, उन्हें लाइसेंस निर्गत करना होगा।

   e) नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत वितरण तंत्र (ग्रिड) से संयोजकता बढ़ाने के लिए उचित उपाय प्रदान करना होगा तथा किसी वितरक लाइसेंसधारी के क्षेत्र में ऐसे स्रोतों से उत्पन्न विद्युत की कुल मात्रा जो किसी व्यक्ति को बेची व खरीदो जाती है, उस क्षेत्र के कुल विद्युत खपत के प्रतिशत में उल्लेखित करना होगा।

   f) लाइसेस धारको के बीच, और उत्पादक कम्पनियों के बीच उत्पन्न विवादा का न्याय निर्णयन करना तथा किसी भी विवाद में मध्यस्थता के लिए संदभित करना होगा।

   g) इन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लेवी शुल्क की उगाही करनी होगी।

   h) धारा 79 के उपधारा (1) के खण्ड (एच) के तहत निदिष्ट विद्युत वितरण तंत्र नियमावली के साथ संगत राज्य विद्युत वितरण तंत्र नियमावली को निर्दिष्ट करना होगा।

i) लाइसेंस धारकों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट या लागू करना होगा।

j) यदि आवश्यक हो तो विद्युत के अंतराजकीय व्यापार में मुनाफा को निर्धारित करना होगा और

k) इस अधिनियम के अंतर्गत, इस तरह के अन्य कार्यो का निर्वहन करना होगा।

2. राज्य आयोग को इनमें से सभी या किसी भी मामले में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा, यथा :–

i) विद्युत आयोग के विभिन्न गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, कार्य कुशलता एवं मितव्ययता को प्रोत्साहित करना,

ii) विद्यत उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना,

iii) राज्य में विद्युत उद्योग का पुनः संगठन और पुर्नगठन करना

iv) विद्युत उत्पादन, संप्रषण, वितरण और व्यापार से संबंधित मामले या किसी भी अन्य मामलों को, जो सरकार द्वारा राज्य आयोग को संदर्भित किया जाये,

3. राज्य आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय पारदर्शिता सनिश्चित् करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करेगा।

4. अपने कार्यो के निर्वहन में राज्य आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के तहत् प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना एवं शुल्क नीति द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

6. आयोग के विनियमन

आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 म प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए विनियमन बनाए गए हैं। आयोग पूरी तहत से परामर्शित एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा अपने सभी विनियमनों को तैयार करता है। ड्राफ्ट अवधारणा पत्र, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं और सभी हितधारकों, बिजली उपयोगिता, उपभोक्ताओं और विद्युत उद्योग में शामिल अन्य सभी संस्थानों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते है। उसके बाद आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाई होती है जिसमें सभी हितधारकों को टिप्पणियां करने और सुझाव देने के लिए एक और मौका दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण कर विनियमनों को अंतिम रूप दिया जाता है, अधिसूचित किया जाता है और अंत में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

आयोग ने अब तक निम्नलिखित विनियमन बनाए एवं अधिसूचित किए हैं :–

i) झा०एस०ई०आर०सी० (राज्य परामर्शदात्री समिति) विनियमन, 2003

ii) झा०एस०ई०आर०सी० (वित्तीय शक्तियों की व्याख्या) विनियमन, 2004

iii) झा०एस०ई०आर०सी० (अंतरराजकीय संप्रषण एवं वितरण में स्वच्छन्दता), विनियमन, 2005

iv) झा०एस०ई०आर०सी० (वितरण लाइसेंस की स्थिति) विनियमन, 2005

v) झा०एस०ई०आर०सी० (अंतरराजकीय व्यापार लाइसेंस देने की प्रक्रिया, नियम और शर्ते) विनियमन, 2006

vi) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए वितरक लाइसेंस धारक द्वारा वसूला गया क्रॉस सब्सिडी शुल्क सहित, शुल्क के निर्धारण के तरीकों और सिद्धान्तों के संबंध में नियमन (संक्षेप में बिजली शुल्क के नियम और सिद्धान्त)

vii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य विद्युत वितरण तंत्र नियमावली) विनियमन, 2008

viii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयाग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियमन, 2010

ix) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (फोटोवोल्टिक ऊर्जा परियोजना तथा सौर उष्मीय ऊर्जा परियोजना से विद्युत की खरीद के लिए शुल्क निर्धारण)

x) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन लेखा परीक्षा) विनियमन, 2011

xi) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (स्थापना के लिए दिशा निर्देश तथा विद्युत लोकपाल के द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच स्थापना हेतु दिशा निर्देश) विनियमन, 2011

xii) राज्य विद्युतभार प्रषित केंद्र द्वारा शुल्क और शुल्क के संग्रह का प्रारूप

xiii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पूर्ति नियमावली) विनियमन, 2015

xiv) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (प्रामाणिक प्रदर्शन) विनियमन, 2015

xv) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (रूफटॉप सौर पीवी विद्युत वितरण तंत्र पारस्परिक प्रणाली और शुद्ध/सकल मापक) विनियमन, 2015

xvi) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (निर्धारित शुल्क की वितरण की शर्ते तथा दशाएँ) विनियमन, 2015

xvii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (प्रसारण शुल्क क वितरण की शर्ते तथा दशाएँ) विनियमन, 2015

xviii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (प्रसारण शुल्क की उत्पादन की शर्ते तथा दशाएँ) विनियमन, 2015

xix) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (हवा, बायोगैस, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से विद्युत की खरीद के लिए शुल्क के निर्धारण और व्युत्पन्न ईंधन आधारित विद्युत परियोजना) विनियमन, 2016

xx) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (लघु जल शुल्क) विनियमन, 2016

xxi) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (पवन और सार ऊर्जा के लिए निर्धारण और पूर्वानुमान) विनियमन, 2016

xxii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा का खरीद दायित्व और अनुपालन) विनियमन, 2016

xxiii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा नियामक लेखांकन) विनियमन, 2016

xxiv) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (बायोमास और वाष्पीकरण आधारित परियोजनाओं और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए शुल्क का निर्धारण) विनियमन, 2016

xxv) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (सौर पीवी परियोजना और सौर तापीय ऊर्जा परियोजना से विद्युत की खरीद के लिए शुल्क का निर्धारण) परियोजना, 2016

xxvi) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (अंतरराज्य खुला संचरण) विनियमन, 2016

xxvii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (व्यापार का संचालन) विनियमन, 2016

7. शुल्क का निर्धारण

आयोग अपने कर्तव्य के निर्वहन में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 द्वारा निर्धारित शुल्क निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित करता है–

i) उत्पाद कंपनी द्वारा वितरण कंपनी के लिए विद्युत की आपूर्ति

ii) विद्युत का संप्रषण

iii) विद्युत का वितरण

iv) विद्युत की खुदरा बिक्री

आयोग अपने नियमों की अधिसूचना का निर्धारण पूरी तरह से एक सलाहकारो, संवादमूलक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत् शुल्क का आदेश जारी करता है।

आयोग अपने विनियमन में अधिकथित एक वार्षिक कार्यक्रमानुसार सभी उत्पादन संस्थाओं और अनुज्ञप्तिधारियों के लिए शुल्क की याचिका की पृष्ठभूमि तैयार करता है। सभी हितधारकों की टिप्पणियां शुल्क याचिकाओं के संबंध में आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद सार्वजनिक सुनवाई निरपवाद रूप से आयोजित किया जाता है। यह सार्वजनिक सुनवाई जनादेश विद्युत अधिनियम 2003 में उपयुक्त एवं संतुलित शुल्क के निर्धारण के लिए लोगों से राय, सुझाव और आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु सबसे उपयुक्त मंच है। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संदर्भ में, पूरे राज्य में न्यूनतम पाँच जगहों पर लोक सुनवाई की जाती है। इस पारदर्शी सलाहकारी प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत अंतिम रूप से निर्णित शुल्क आदेश को अधिसूचित कर आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है।

8. सूचना का प्रसार

आयोग अपने उपलब्ध सूचना को जनता तथा हितधारकों के लिए समाचार पत्रा तथा आयोग के कार्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित करता है।

9. राज्य परामर्शदात्री समिति (रा०प०स०)

आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 87 के तहत आवश्यतानुसार, राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन किया है।

9.1 राज्य परामर्शदात्री समिति का उद्दश्य

आयोग को सलाह देने के लिए

क) प्रमुख नीतिगत मुद्दे,

ख) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामला,

ग) अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा उनके लाइसेंस की शर्त्तो और आवश्यकताओं के अनुपालन,

घ) उपभोक्ता हितों की सुरक्षा,

ङ) उपयोगिता आधारित विद्युत की आपूर्ति और प्रदर्शन के समग्र मानक

9.2 चौथा राज्य परामर्शदात्री समिति 19 फरवरी 2014 को दो वषा के लिए गठित किया गया था, जिसे अगले चार वर्ष 31 मार्च 2018 तक के लिए विस्तारित किया गया। राज्य परामर्शदात्री समिति के निम्न सदस्य है–

1. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार, – पदेन सदस्य
2. प्रधान सचिव, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण एवं खाद्य विभाग, झारखण्ड सरकार, – पदेन सदस्य
3. मुख्य प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
4. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
5. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
6. प्रबंध निदशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
7. मुख्य प्रबंध निदेशक, दामोदर घाटी निगम, कोलकाता या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
8. प्रबंध निदेशक, जुस्को, जमशेदपुर या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
9. प्रबंध निदेशक, टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
10. प्रबंध निदेशक, सेल/बोकारो इस्ताप संयंत्र, बी0एस0सीटी या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।
11. प्रबंध निदेशक, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, हिनू, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो।

12. महाप्रबंधक (विद्युत), टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर।
13. मुख्य प्रबंध निदेशक, सी0 सी0 एल0, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक के नीचे के स्तर का अधिकारी न हो, साथ ही विद्युत संबंधित मुद्‌दों से संबद्ध हो।
14. मुख्य प्रबंध निदेशक, मेकन, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक या उनके नीच के स्तर का अधिकारी का न हो साथ ही विद्युत संबंधित मुद्दों से संबद्ध हो।
15. मुख्य प्रबंध निदेशक, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची या उनके प्रतिनिधि जो कि महाप्रबंधक या उनके नीचे के स्तर का अधिकारी का ना हो साथ ही विद्युत संबंधित मुद्‌दों से संबद्ध हो।
16. कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके, राँची या उनके प्रतिनिधि।
17. विभागाध्यक्ष (विद्युत), बीआइटी मेसरा, राँची।
18. मुख्य विद्युत वितरण अभियंता, दक्षिण–पूर्व रेलवे, कोलकाता।
19. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, राँची।
20. अध्यक्ष, ऑल इण्डिया चेम्बर्स ऑफ कंज्यूमर, पं0 सिंहभूम, चाईबासा।
21. अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, जमशेदपुर।
22. अध्यक्ष, आदित्यपुर लघु उद्योग संगठन, आदित्यपुर, सरायकेला–खरसावाँ
23. अध्यक्ष, झारखण्ड अति लघु सेवाएं तथा व्यापार प्रतिष्ठान संगठन, बोकारो स्टील सीटी
24. अध्यक्ष, झारखण्ड लघु स्तर उद्योग समिति, राँची
25. महासचिव, धनबाद आटा चक्की समिति, धनबाद
26. महासचिव, संथाल परगना, लघु उद्योग समिति, देवघर
27. अध्यक्ष, बोकारो कर्मचारी पट्‌टाधर कल्याण संस्था, बोकारो

9.3 2017–18 में SAC बैठक का आयोजन

क्र.सं.	तिथि	स्थान
1.	10 अप्रील, 2017	होटल रॉचो अषोक, रॉची ।
2.	15 सितम्बर, 2017	आई0एम0ए0 हॉल, रॉची ।
3.	05 फरवरी, 2018	होटल रॉची अषोक, रॉची ।
4.	21 मार्च, 2018	होटल कैपिटल हिल, रॉची ।

माह अप्रैल 2017 को हुई राज्य सलाहकार समिति की बैठक में भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति एन0 एन0 तिवारी एवं माननीय श्री रविन्द्र नारायण सिंह, सदस्य (तकनीकी)

माह मार्च 2018 को हुई राज्य सलाहकार समिति की बैठक में अध्यक्ष माननीय डा0 अरविन्द प्रसाद एवं माननीय श्री रविन्द्र नारायण सिंह, सदस्य (तकनीकी)

10. विद्युत आपूर्ति नियमावली चयनक समीक्षा समिति का संविधान

आयोग द्वारा विद्युत आपूर्ति नियमावली चयनक समीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित कार्यो के लिए किया गया है –

a) नियमावली के कार्यान्वयन के बारे में लाइसेंस धारकों, उपभोक्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों के विचारों पर विचार करना।

b) आपूर्ति की शर्तो के साथ लाइसेंसधारियों द्वारा अनुपालन का आंकलन करने के लिए।

c) उपभोक्ता हितों की रक्षा और लाइसेंसधारकों के समग्र प्रदर्शन सुनिश्चित्/निगरानी करने के लिए।

d) नियमावली के कार्यान्वयन में वितरण लाइसेंस धारकों या उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी परिचालन समस्याओं को समीक्षा करना।

वर्तमान विद्युत आपूर्ति नियमावली चयनक समीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य है–

1. मुख्य अभियंता (सी एण्ड आर), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे०बी०वी०एन०एल०)
2. मुख्य (ऊर्जा प्रबंधक) टाटा स्टील लिमिटेड (टी एस एल)
3. महाप्रबंधक (ऊर्जा सेवा विभाग), जमशेदपुर यूटिलिटि एण्ड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (जे0यू0एस0सी0ओ0)
4. मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक), दामोदर घाटी निगम
5. उपमहाप्रबंधक (टी0 ए0 विद्युत) भारतीय इस्पात संयंत्र लिमिटेड, बोकारो
6. मुख्य अभियंता (टी एण्ड ओ0 एम0), राँची, झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड (जे0 यू0 एस0 एन0 एल0)
7. मुख्य अभियंता (एस एल डी सी/यू एल डी सी), झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड (जे0 यू0 एस0 एन0 एल0)
8. वरीष्ठ उपमहाप्रबंधक (पी एस डी), हेवी इंजीनियरिंग कंपनी।
9. मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता।
10. अध्यक्ष, फेडरेशन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्टोज
11. मुख्य सचिव, संथाल परगना, लघु उद्योग संगठन
12. मुख्य सचिव, धनबार फ्लोर मिल्स संगठन, देवघर
13. निदेशक, छोटानागपुर रोप वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

अब तब चयनक समिति द्वारा दो बार समीक्षा को गई जो कि निम्न हैः–

क्र0सं0	बैठक	तिथि	स्थान
1.	पहली बैठक	15 सितम्बर, 2017	आई0एम0ए0 हॉल, रॉची ।
2.	दूसरी बैठक	21 मार्च, 2018	होटल कैपिटल हिल, रॉची ।

11. वर्ष 2017-18 में पारित किये गये प्रमुख निर्णय/ विनियमन

a) दामोदर घाटी निगम (DVC)

दामोदर घाटी निगम एक वैधानिक निगम है जो दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निगमित है। यह विविध प्रकार का कार्य देखता है। विद्युत के संबंध में डीवीसी विद्युत उत्पादन का कार्य करती है और इस हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 2 (28) के तहत विद्युत उत्पादन कंपनी का संचालन करती है। विद्युत की आपूर्ति खुदरा बिक्री के संबंध में डीवीसी संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र को आच्छादित करती है जिसमें दो राज्य पश्चिम बंगाल और झारखण्ड आत है। इस तरह दामोदर घाटी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति और खुदरा बिक्री हेतु शुल्क विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86(1) के साथ गठित धारा 62 के प्रावधानों के द्वारा अधिशासित होता है, संबंधित राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के विद्युत नियामक आयोग द्वारा निधारित होता हैं ।

आयोग दामोदर घाटी निगम के लिए वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सामंजस्य आदेश दिनांक 19 अप्रल 2017 को अधिसूचित किया।

वित्तीय वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 के लिए सामंजस्य

वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के लिए आयोग का विश्लेषण तथा डीवीसी के प्रस्तुतीकरण के अनुसार झारखण्ड क्षेत्र के लिए वार्षिक शुल्क वसूली (ए आर आर) निम्नानुसार तालिका में सारांशीकृत किया गया है–

वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लिए झारखण्ड क्षेत्र का डीवीसी के प्रस्तुतिकरण और आयोग के विश्लेषण के अनुसार ए.आर.आर. (करोड़ में)

Particulars	DVC's Submission					Commission Analysis				
	FY07	FY08	FY09	FY10	FY11	FY07	FY08	FY09	FY10	FY11
Allocated input cost for Jharkhand Area	2,159.12	2,046.6	2,154.24	2,662.70	2,847.28	2124.86	2014.05	2094.48	2633.01	2836.93
Add: Tariff filing & publication expenses	0.24	0.23	0.27	0.63	0.66	0.24	0.23	0.27	0.63	0.66
Add: Interest on Working Capital	1.97	1.94	2.45	2.56	2.38	2.15	2.76	3.35	3.67	3.38
Total ARR for Jharkhand area	**2161.20**	**2048.69**	**2156.79**	**2665.37**	**2849.76**	**2127.11**	**2016.92**	**2097.94**	**2636.79**	**2840.41**
Revenue from sale of power in Jharkhand	**1923.20**	**1586.35**	**1996.14**	**2092.40**	**2021.59**	**2097.76**	**2256.09**	**2737.41**	**2995.05**	**2878.70**
Revenue Gap/(Surplus)	**238.00**	**462.34**	**160.65**	**572.96**	**828.17**	**29.35**	**(239.17)**	**(639.47)**	**(358.26)**	**(38.29)**
Sales (MU)	6761.63	7394.84	7740.31	8093.99	8549.47	6761.63	7394.84	7740.31	8093.99	8549.47

Particulars	DVC's Submission					Commission Analysis				
	FY07	FY08	FY09	FY10	FY11	FY07	FY08	FY09	FY10	FY11
Average Cost of Supply (Rs/kWh)	3.20	2.77	2.79	3.29	3.33	3.15	2.73	2.71	3.26	3.32

वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 के लिए सामंजस्य

वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 की अवधि के लिए आयोग का विश्लेषण तथा डीवीसी के प्रस्तुतीकरण के अनुसार झारखण्ड क्षेत्र के लिए ए आर आर निम्नानुसार तालिका में सारांशीकृत किया गया है–

वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिए झारखण्ड क्षेत्र का डीवीसी के प्रस्तुतीकरण और आयोग के विश्लेषण के अनुसार ए आर आर(करोड़ में)

Particulars	DVC's Submission				Commission Analysis			
	FY12	FY13	FY14	FY15	FY12	FY13	FY14	FY15
Allocated input cost for Jharkhand Area	3532.56	3517.65	4895.21	4435.60	3443.08	3857.20	4813.67	4374.52
Add: Cost of Solar & Non-Solar Power Purchased to meet the RPO in the state of Jharkhand	-	-	-	48.63	-	-	11.48	48.92
Add: Tariff filing & publication expenses	0.34	0.34	0.38	0.58	0.34	0.34	0.38	0.58
Add: IWC for Jharkhand Area	70.87	91.73	106.50	101.42	4.44	5.48	5.65	6.62
Deposits	1.02	2.11	1.27	1.24	1.02	2.11	1.27	1.24
Total ARR for Jharkhand area	3604.80	4107.52	5003.36	4587.48	3448.88	3865.14	4832.45	4431.88
Revenue from sale of power in Jharkhand	2571.89	3607.17	3304.18	4167.61	3412.38	3717.43	3910.08	4489.57
Revenue Gap/ (Surplus)	1032.91	500.34	1699.18	419.87	36.50	147.71	922.37	(57.69)
Sales (MU)	8899.12	9096.66	9610.55	9815.15	8899.12	9096.66	9610.55	9815.15
Average Cost of Supply (Rs/kWh)	4.05	4.52	5.21	4.67	3.88	4.25	5.03	4.52

b) इनलैण्ड पावर लिमिटेड (आई.पी.एल)

आई पी एल प्रारंभ में 22 जून 1993 को प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया था तथा बाद में 03 अप्रल 2008 को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया। आई पी एल ने 126 मेगावाट (+20%)(2x63MW) पावर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अक्तूबर 2011 में झारखण्ड सरकार के साथ समझौता पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर किया। तदनुसार, आइ पी एल, झारखण्ड के रामगढ़ जिले के गोला में दो चरणों में सीएफबीसी तकनीक आधारित थर्मल पावर प्लांट (2x63MW) स्थापित कर रही है। इसकी 63MW की प्रथम इकाई का व्यावसायिक कार्य तिथि 21 मई 2014 है।

MOU में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार झारखण्ड सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित पावर प्लांट द्वारा उत्पादित पावर का 25 प्रतिशत तक खरीदने का प्रथम दावा करेगी। उसके बाद MOU यह भी स्पष्ट करती है कि राज्य द्वारा 25 प्रतिशत के प्रथम अधिकार के रूप में क्रय करने से इंकार करने पर 12 प्रतिशत अंश का दर परिवर्तनशील लागत पर होगी। झारखण्ड सरकार और आई पी एल के बीच हस्ताक्षरित MOU के आलोक में आई पी एल झारखण्ड राज्य बिजली बोर्ड (अब झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड या JUVNL) के साथ प्रोजेक्ट के प्रथम चरण के 63 मेगावाट में से 35 मेगावाट की आपूर्ति हेतु 23 फरवरी 2012 को दीर्घावधि ऊर्जा क्रय समझौता (पी पी ए) हस्ताक्षर किया गया। बाद में, आई पी एल ने JSEB (अब JUVNL) अनुपूरक पी पी ए दिनांक 22 अप्रल 2013 को हस्ताक्षर किया गया जिसमें मूल पी पी ए में उल्लिखित मात्रा सहित 63 मेगावाट के यूनिट 1 से उत्पादित की जाने वाली संपूर्ण उर्जा की खरीद और बिक्रो सम्मिलित है।

आयोग ने पूंजी लागत का अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सामंजस्य, वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा, ए आर आर और इनलैण्ड पावर लिमिटेड(आई पी एल) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 पर दिनांक 16 मई 2017 को आदेश अधिसूचित किया।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सामंजस्य

निम्नांकित तालिका में प्लांट के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वार्षिक निर्धारित शुल्क और नियंत्रण अवधि के लिए आयोग से अनुमोदन को दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक निर्धारित शुल्क

Particulars	Unit	Approved in MYT order	Submitted by IPL	Approved in True up
O&M Expenses	Rs. Cr	12.57	16.49	13.07
Depreciation	Rs. Cr	13.20	13.63	13.46
Interest on Loan	Rs. Cr	23.37	31.45	25.89

Particulars	Unit	Approved in MYT order	Submitted by IPL	Approved in True up
Return on Equity	Rs. Cr	14.86	12.76	12.36
Cost of Secondary Fuel	Rs. Cr	1.72	2.10	1.63
Interest on Working Capital	Rs. Cr	5.45	2.82*	5.06
Total Fixed Cost	Rs. Cr	**71.17**	**79.25**	**71.47**

वित्तीय वर्ष 2017–21 के लिए बहुवर्षीय शुल्क

बहुवर्षीय शुल्क हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित निर्धारित शुल्क का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है:

आयोग द्वारा बहुवर्षीय शुल्क हेतु अनुमोदित निर्धारित शुल्क

Particulars	Unit	FY 16-17	FY 17-18	FY 18-19	FY 19-20	FY 20-21
O&M Expenses	Rs. Cr	17.01	18.08	19.22	20.43	21.72
Depreciation	Rs. Cr	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60
Interest on Loan	Rs. Cr	24.98	23.08	21.18	19.28	17.37
Return on Equity	%	19.30	19.84	19.84	19.84	19.84
Interest on Working Capital	Rs. Cr	5.99	6.02	6.05	6.07	6.11
Total Fixed Cost	Rs. Cr	82.88	82.62	81.88	81.21	80.64

इनलैण्ड पावर लिमिटेड, झारखण्ड सरकार के साथ समझौता पत्र में दिए गए प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड सरकार के साथ हस्ताक्षरित MOU और JUVNL के साथ की गयी PPA में दिये गये प्रावधानों के अनुसार से शुल्क वसूल करेगी।

कुल शुद्ध क्षमता क 12 प्रतिशत के लिए शुल्क

Particulars	Units	FY 16-17	FY 17-18	FY 18-19	FY 19-20	FY 20-21
Approved Variable cost/ Energy Charge Rate	Rs./kWh	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09

इस आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित कुल शुद्ध क्षमता के 12 प्रतिशत के लिए शुल्क परिवर्तनीय (JSERC उत्पादन शुल्क विनियमन, 2015 के अनुसार ईंधन मूल्य समायोजन के अधीन) होगा जिसे नीचे दर्शाया गया है:

शुद्ध क्षमता के 12 प्रतिशत के लिए अनुमोदित शुल्क का सारांश

कुल शुद्ध क्षमता क 88 प्रतिशत के लिए शुल्क

इस आदेश में आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के रूप में अनुमोदित और कुल शुद्ध क्षमता क 88 प्रतिशत के लिए कुल शुल्क अर्थात् परिवर्तनीय लागत (उत्पादन शुल्क विनियमन, 2015 के अनुसार ईंधन मूल्य समायोजन के अधीन) होगा, जिसे नीचे दर्शाया गया हैः

शुद्ध क्षमता के 88 प्रतिशत के लिए अनुमोदित शुल्क

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सामंजस्य

आयोग ने दिनांक 19 मार्च 2018 को आई पी एल के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सामंजस्य का अनुमोदन पर आदेश अधिसूचित किया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक निधारित शुल्क

Particulars	Unit	Approved in MYT order	Submitted by IPL	Approved in True up
O&M Expenses	Rs. Cr	16.01	24.96	16.01
Depreciation	Rs. Cr	15.91	15.84	15.60
Interest on Loan	Rs. Cr	26.30	33.28	32.15
Return on Equity	Rs. Cr	17.90	14.48	14.32
Cost of Secondary Fuel	Rs. Cr	2.07	2.07	2.03
Interest on Working Capital	Rs. Cr	6.54	7.52	7.36
Total Fixed Cost	Rs. Cr	**84.73**	**98.15**	**87.47**

c) **झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL)**

पूर्व के JSEB को मान्यता देने हेतु झारखंड सरकार के निर्णय के आलोक में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत झारखंड बिजली वितरण विकास निगम लिमिटेड को निगमित किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 131 के साथ गठित पार्ट XIII – बोर्ड का पुनर्गठन के आलोक में झारखंड सरकार ने JSEB का पुनर्गठन किया था। JBVNL झारखंड सरकार के सामान्य संकल्प, जो कि अधिसूचना सं. 8 के द्वारा हस्तांतरण योजना के रूप में अधिसूचित है, के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित किया गया था। यह कंपनी रजिस्ट्रार राँची के यहाँ विधिवत रूप से पंजीकृत है और 28 नवम्बर 2013 को कार्य करने का प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है। JBVNL विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अधीन झारखण्ड में विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्ति धारक है।

आयोग ने नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 के लिए एकाधिक वर्ष हेतु ए आर आर और काय योजना तथा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वितरण एवं खुदरा शुल्क के अनुमोदन पर दिनांक 21 जून 2017 को आदेश अधिसूचित किया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 के लिए बहुवर्षीय तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए शुल्क के लिए ए आर आर

वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 की बहुवर्षीय अवधि के लिए औसत राजस्व आवश्यकता, जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित है, सारांश रूप में नीचे तालिका में दिया गया है।

आयोग द्वारा अनुमोदित बहुवर्षीय अवधि के लिए ए आर आर (करोड़ में)

Particulars	FY17	FY18	FY19	FY21	FY21
O&M Cost	334.53	377.87	454.69	535.87	591.87
Employee cost	218.19	226.30	234.78	243.61	252.84
A&G Expense	50.48	52.68	54.97	57.37	59.86
R&M Cost	65.87	98.89	164.94	234.89	279.17
Power purchase (Inc. PGCIL & RLDC)	4,629.51	5,495.92	6,648.10	6,548.22	6,618.57
Transmission cost JUSNL	141.18	185.50	243.49	282.25	310.77
Interest Cost	58.36	118.46	176.83	202.15	202.62
Interest on WC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interest on Security Deposits	55.71	79.31	108.79	110.09	111.83
Depreciation	93.67	138.29	184.42	212.52	236.32
Return on Equity	66.19	111.69	152.49	175.16	186.99
Provision for bad debts	-	-	-	-	-
Less: Other income	(134.30)	(141.01)	(148.07)	(155.47)	(163.24)
Total ARR required	**5,244.85**	**6,366.03**	**7,820.74**	**7,910.80**	**8,095.74**

आयोग ने विभिन्न श्रेणियों में ऊर्जा, स्थायी और मांग शुल्क में औसतन 12.24 प्रतिशत की वृद्धि को अनुमोदित किया है। आयोग ने श्रेणीवार बहुवर्षीय नियंत्रण अवधि के लिए खुदरा शुल्क, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है, को निर्धारित किया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुमोदित शुल्क का सारांश

Category	Units for Fixed Charges	Existing Fixed Charges	Approved Fixed Charges	Existing Energy Charge (Rs/kWh)	Approved Energy Charges (Rs/kWh)
DOMESTIC					
DS-I (a), KutirJyoti	Rs/Conn/Month	15.00	16.00	1.20	1.25

Category	Units for Fixed Charges	Existing Fixed Charges	Approved Fixed Charges	Existing Energy Charge (Rs/kWh)	Approved Energy Charges (Rs/kWh)
(metered) (0-50) units					
DS-I (a), KutirJyoti (metered) (51-100) units	Rs/Conn/Month	15.00	16.00	1.20	1.25
DS-I (a), KutirJyoti (Unmetered)	Rs/Conn/Month	40.00	60.00	NIL	NIL
DS-I (b), Metered (0-200) units	Rs/Conn/Month	27.00	30.00	1.50	1.60
DS-I (b), Metered (above 201) units	Rs/Conn/Month	27.00	30.00	1.60	1.70
DS-I (b), Other Rural Domestic Connections (Unmetered)	Rs/Conn/Month	110.00	170.00	NIL	NIL
DS-II, <= 4 KW					
0-200 units	Rs/Conn/Month	43.00	50.00	2.60	3.00
201 and above units	Rs/Conn/Month	65.00	80.00	3.10	3.60
DS-III, Above 4 kW	Rs/Conn/Month	110.00	150.00	3.20	4.00
DS HT	Rs/kVA/Month	80.00	110.00	2.80	3.50
NON DOMESTIC					
NDS-I, Metered (<=2kW) (0-100) units	Rs/Conn/Month	32.00	45.00	1.90	2.20
NDS-I, Metered (<=2kW) (Above 100) units	Rs/Conn/Month	32.00	45.00	1.90	2.25
NDS-I unmetered (<=2kW)	Rs/kW/Month	Rs 190 per kW per month or part thereof for connected	Rs 250 per kW per month or part thereof for connected	NIL	NIL

Category	Units for Fixed Charges	Existing Fixed Charges	Approved Fixed Charges	Existing Energy Charge (Rs/kWh)	Approved Energy Charges (Rs/kWh)
		load up to 1 kW and Rs 70 per kW per month for each additional 1kW or part thereof	load up to 1 kW and Rs 90 per kW per month for each additional 1kW or part thereof		
NDS-II	Rs/kW/Month	Rs 190 per kW per Month or part thereof	Rs 225 per kW per Month or part thereof	5.65	6.00
NDS-III (Advertising & Hoardings)	Rs/Conn/Month	165.00	200.00	6.50	6.80
LOW TENSION INDUSTRIAL & MEDIUM POWER SERVICE (LTIS)					
LTIS (Installation Based Tariff)	Rs/HP/Month	140.00	160.00	5.30	5.50
LTIS (Demand Based Tariff)	Rs/kVA/Month	255.00	275.00	5.30	5.50
IRRIGATION & AGRICULTURE					
IAS-I Metered	Rs/HP/Month	NIL	NIL	0.65	0.70
IAS-I Unmetered	Rs/HP/Month	75.00	100.00	NIL	NIL
IAS-II Metered	Rs/HP/Month	NIL	NIL	1.10	1.20
IAS-II Unmetered	Rs/HP/Month	300.00	375.00	NIL	NIL
HTS					
HTS-11 KV	Rs/kVA/Month	255.00	300.00	5.85	6.25
HTS-33 KV	Rs/kVA/Month	255.00	300.00	5.85	6.25
HTS-132 KV	Rs/kVA/Month	255.00	300.00	5.85	6.25
HT SPECIAL S					
HTSS-11 KV	Rs/kVA/Month	440.00	490.00	3.50	4.00
HTSS-33 KV	Rs/kVA/Month	440.00	490.00	3.50	4.00

Category	Units for Fixed Charges	Existing Fixed Charges	Approved Fixed Charges	Existing Energy Charge (Rs/kWh)	Approved Energy Charges (Rs/kWh)
HTSS-132 KV	Rs/kVA/Month	440.00	490.00	3.50	4.00
TRACTION					
RTS	Rs/kVA/Month	235.00	235.00	5.85	6.00
STREET LIGHT SERVICE					
SS-I (Metered)	Rs/Conn/Month	38.00	55.00	4.80	5.25
SS-II (Unmetered)	Rs/Conn/Month	Rs 150 per 100 watt lamp and Rs 32.5 for every additional 50 watt	Rs 250 per 100 watt lamp and Rs 55.00 for every additional 50 watt	NIL	NIL
MES	Rs/kVA/Month	230.00	260.00	4.35	4.60
Temporary Supply	1.5 times applicable fixed charges	1.5 times applicable fixed charges	1.5 times applicable energy charges	1.5 times applicable energy charges	Temporary Supply

d) राँची नगर ठोस अपशिष्ट प्राईवेट लिमिटेड

राँची नगर निगम–झारखड सरकार का एक प्रशासनिक निकाय है, जो झारखंड के राँची शहर में नागरिक और आधारभूत परिसंपतियों के लिए जिम्मेदार है। आर एम पी एल राँची नगर निगम के साथ अंगीभूत समझौता में 31 अक्तूबर 2015 में आया। अंगीभूत समझौता के अनुसार इस परियोजना को डीबीएफओटी आधार पर संपादित किया जाना है। आरएमपीएल ने राँची शहर के झिरी गॉव में 11.5 मेगावाट का वृहत ज्वाला नियंत्रित दहन तकनीक आधारित कचरा से ऊजा उत्पादन पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है।

आयोग ने शुल्क का निर्धारण किया जो तभी लागू होगा यदि कंपनी दिनांक 31 मार्च 2020 तक परियोजना में अपना व्यावसायिक कार्य आरंभ कर लेगा। यह अनुमोदित शुल्क उत्पादन के व्यावसायिक आरंभ की तिथि से 20 वर्षा की अवधि के लिए मान्य होगा।

आरएमपीएल के ऊर्जा संयंत्र को अपशिष्ट के लिए अनुमोदित दर (पहले 10 वर्ष के लिए)

Year of Operation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Installed Capacity (MW)	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Net Generation (MU)	55.66	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22
Cost of Generation (Rs. Lakh)										
O&M Expenses	1035.00	1094.20	1156.79	1222.96	1292.91	1366.87	1445.05	1527.71	1615.09	1707.48
Depreciation	1086.83	1086.83	1086.83	1086.83	1086.83	1086.83	1086.83	1086.83	1086.83	1086.83
Interest on term loan	1537.33	1403.65	1269.97	1136.28	1002.60	868.92	735.24	601.56	467.88	334.20
Interest on working Capital	135.72	135.90	136.26	136.81	137.55	138.51	139.69	141.10	142.75	144.67
Return on Equity	1117.89	1117.89	1117.89	1117.89	1117.89	1117.89	1117.89	1117.89	1117.89	1117.89
Total Fixed Cost	**4912.76**	**4838.47**	**4767.74**	**4700.77**	**4637.79**	**4579.02**	**4524.70**	**4475.09**	**4430.45**	**4391.07**

आरएमपीएल के ऊर्जा संयंत्र को अपशिष्ट के लिए अनुमोदित दर (दूसरे 10 वर्ष के लिए)

Year of Operation	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Installed Capacity (MW)	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Net Generation (MU)	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22
Cost of Generation (Rs. Lakh)										
O&M Expenses	1805.14	1908.40	2017.56	2132.96	2254.97	2383.95	2520.31	2664.48	2816.89	2978.01
Depreciation	1086.83	1086.83	465.79	465.79	465.79	465.79	465.79	465.79	465.79	465.79
Interest on term loan	200.52	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interest on working Capital	151.74	154.23	144.95	150.98	157.37	164.11	171.25	178.79	186.76	195.19
Return on Equity	1341.46	1341.46	1341.46	1341.46	1341.46	1341.46	1341.46	1341.46	1341.46	1341.46
Total Fixed Cost	**4585.70**	**4557.77**	**3969.76**	**4091.20**	**4219.59**	**4355.32**	**4498.81**	**4650.52**	**4810.90**	**4980.45**

उपर्युक्त के आधार पर, अनुमोदित निश्चित दर, संयंत्र उपयोगी सक्रियता के लिए लेवलाइज्ड़ दर रू० 7.29 Kwh के करीब आता है।

e) आधुनिक ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन लिमिटेड (एपीएनआरएल)

आधुनिक विद्युत और प्राकृतिक संसाधन (एपीएनआरएल) ने चरण–1 में 540 मेगावाट का कोयला आधारित संयंत्र स्थापित किया है (जिसमें इकाई–I और इकाई– II 270 मेगावाट के साथ शामिल हैं) और चरण–2 में अतिरिक्त 540 मेगावाट के कोयला आधारित विद्युत संयंत्र को विकसित करने की योजना बना रहा है। विद्युत संयंत्र की इकाई–I को 13 नवम्बर, 2012 को समक्रमिक किया गया था और इसके लिए सीओडी 21 जनवरी, 2013 को घोषित किया गया था। विद्युत संयंत्र के इकाई–II को 29 मार्च, 2013 को समक्रमिक किया गया और इसके लिए सीओडी 19 मई, 2013 को घोषित किया गया था।

झारखण्ड और एपीएनआरएल सरकार के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, एपीएनआरएल ने 28 सितम्बर, 2012 को 122.85 मेगावाट की अनुबंधित झमता की आपूर्ति के लिए झारखण्ड राज्य बिजली बोर्ड (अब ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड या "जेयूवोएनएल") के साथ विद्युत क्रय/खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किये (491.4 मेगावाट का 25% अर्थात 270 मेगावाट प्रति 2 इकाइयों की सकल क्षमता, कुल 540 मेगावाट से कम मानक सहायक खपत) परियोजना के चरण–1 दीर्घाकालिक आधार पर। पीपीए के शर्तो के अनुसार, 63.882 मेगावाट क्षमता, यानि चरण–1 की शुद्ध क्षमता का 13% जेएसईबी (अब जेयविएनएल) को कुल दर और शेष 58.986 मेगावाट क्षमता, यानि कुल शुद्ध क्षमता का 12% चरण–1 की केवल परिवर्तनीय लागत पर आपूर्ति की जायेगी।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16, व्यापार योजना, सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक एमवाईटी के लिए आधुनिक विद्युत और प्राकृतिक संसाधनों लिमिटेड (एपीएलआरएल) के लिए संतुलित दर 19 फरवरी 2018 को अधिसूचित किया।

वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए संतुलन

नीचे दी गई सारणी याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत वार्षिक तय शुल्क दिखाती है और 270 मेगावाट की पूरी क्षमता के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 270 मेगावाट के लिए इकाई–1 के वार्षिक तय शुल्क का सारांश (रूपये करोड़)

Particular	Approved in APR	APNRL submission FY2014-15	Approved by JSERC
Depreciation	79.59	80.05	81.43
Interest on Loan	142.98	148.39	147.36
Return on Equity (pre-tax)	83.72	68.06	68.90
O&M Expenses (including water charges)	64.91	66.69	64.91
Interest on Working Capital	24.87	25.50	25.34
Cost of Secondary Fuel	7.79	7.92	7.93
Annual Fixed Charges	403.85	396.60	395.85

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 270 मेगावाट के लिए इकाई–1 का वार्षिक तय शुल्क का सारांश (रूपये करोड़)

Particular	Approved in APR	APNRL Submission FY 2015-16	Approved by JSERC
Depreciation	79.59	80.87	82.43
Interest on Loan	132.29	129.94	131.99
Return on Equity (pre-tax)	83.72	69.79	70.62
O&M Expenses (including water charges)	68.63	70.34	68.63
Interest on Working Capital	31.59	30.76	30.44
Cost of Secondary Fuel	12.77	7.77	7.77
Annual Fixed Charges	408.59	389.47	391.89

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 270 मेगावाट के लिए इकाई–2 का वार्षिक तय शुल्क का सारांश (रूपये करोड़)

Particular	Approved in APR	APNRL Submission FY2014-15	Approved by JSERC
Depreciation	80.66	80.82	82.16
Interest on Loan	147.09	153.16	152.18
Return on Equity (pre-tax)	84.73	68.66	68.77
O&M Expenses (including water charges)	64.91	66.69	64.91
Interest on Working Capital	22.84	22.41	21.90
Cost of Secondary Fuel	6.26	6.23	6.23
Annual Fixed Charges	406.49	397.97	396.88

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 270 मेगावाट के लिए इकाई–2 का वार्षिक तय शुल्क का सारांश (रूपये करोड़)

Particular	Approved in APR	APNRL Submission FY2015-16	Approved by JSERC
Depreciation	80.66	81.67	83.20
Interest on Loan	136.34	143.03	137.99
Return on Equity (pre-tax)	84.73	70.46	71.30
O&M Expenses (including water charges)	68.63	70.34	68.63
Interest on Working Capital	31.74	25.72	25.44
Cost of Secondary Fuel	12.77	5.82	5.82
Annual Fixed Charges	**414.87**	**397.04**	**392.39**

वित्तीय वर्ष 2017–21 के लिए बहुवर्षीय शुल्क

270 मेगावाट के पूर्ण क्षमता के लिए प्रत्येक इकाई के लिए आयोग द्वारा बहुवषीय शुल्क अवधि के लिए वार्षिक नियत शुल्क नीचे की सारणी में दशायी गई है–

इकाई 1 के 270 मेगावाट के लिए आयोग द्वारा मंजूर किया गया वार्षिक नियत शुल्क।

Particulars	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21
Depreciation	82.37	82.37	82.37	82.37	82.37
Interest on Loan	121.65	110.84	100.02	89.21	78.39
Return on Equity (pre -tax)	70.62	70.62	70.62	70.62	70.62
O&M Expenses	72.01	75.56	79.28	83.19	87.28
Water Charges	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74
Interest on Working Capital	24.31	24.28	24.27	24.26	24.27
Annual Fixed Charges	**372.71**	**365.41**	**358.30**	**351.39**	**344.68**

इकाई 2 के 270 मेगावाट के लिए आयाग द्वारा मंजूर किया गया वार्षिक नियत शुल्क।

Particulars	FY 2016-17	FY 2017-18	FY 2018-19	FY 2019-20	FY 2020-21
Depreciation	83.15	83.15	83.15	83.15	83.15
Interest on Loan	127.42	116.38	105.34	94.30	83.25
Return on Equity (pre -tax)	69.79	69.79	69.79	69.79	69.79
O&M Expenses	72.01	75.56	79.28	83.19	87.28
Water Charges	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74
Interest on Working Capital	24.46	24.43	24.40	24.39	24.40
Annual Fixed Charges	**378.57**	**371.04**	**363.70**	**356.55**	**349.61**

f) टाटा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (TPCL)

टाटा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (टी0पी0सी0एल0) 1913 के भारतीय कम्पनी अधिनियम VII के अधीन बाम्बे हाऊस, 24 होमी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई – 40000/– में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ निगमित एक कम्पनी है और देश में बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण में संलग्न है। टी0पी0सी0एल0 पाँच इकाईयों का संचालन करती है, जिनमें से जोजोबेडा विद्युत संयत्र की दो इकाइयाँ (इकाई 2 और इकाई 3) झा०एस०ई०आर०सी० द्वारा शुल्क निर्धारण की विषय वस्तु हैं। दोनों इकाईयो में प्रत्येक की क्षमता 120 मेगावाट है। इकाई 2 ने अपना संचालन 1 फरवरी, 2001 को प्रारम्भ किया और इकाई 3 ने 1 फरवरी, 2002 को।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सामंजस्य पर आदेश टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (TPCL) के लिए नियंत्रित अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ARR और व्यापार योजना की मंजूरी 19 फरवरी 2018 को अधिसूचित किया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सामंजस्य

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक नियत शुल्क इकाई–2 के सामंजस्य का सारांश (करोड़ रूपये में)

Particulars	Unit	Approved in MYT order	Submitted by TPCL	Approved in True up
O&M charges	Rs Cr	31.48	51.87	31.58
Depreciation	Rs Cr	6.34	5.79	5.79
Interest on Loan	Rs Cr	4.19	3.65	3.65
Return on Equity (pre-tax)	Rs Cr	28.31	28.24	28.24
Cost of Secondary Fuel	Rs Cr	5.35	4.66	0.40
Interest on Working Capital	Rs Cr	11.04	15.98	13.78
Annual Fixed Charges	**Rs Cr**	**86.72**	**110.19**	**83.44**

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक नियतशुल्क इकाई–3 के सामंजस्य का सारांश (करोड़ रूपये में)

Particulars	Unit	Approved in MYT order	Submitted by TPCL	Approved in True up
O&M charges	Rs Cr	25.92	46.52	25.54
Depreciation	Rs Cr	7.64	7.41	7.41
Interest on Loan	Rs Cr	3.07	2.97	2.97
Return on Equity (pre-tax)	Rs Cr	26.81	27.06	27.06
Cost of Secondary Fuel	Rs Cr	5.68	4.62	0.67
Interest on Working Capital	Rs Cr	11.52	16.92	12.70
Annual Fixed Charges	Rs Cr	**80.64**	**105.49**	**76.34**

वित्तीय वर्ष 2017–21 के लिए बहुवर्षीय शुल्क

नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए इकाई 2 और इकाई 3 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) और उत्पादन शुल्क जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

इकाई–2 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (करोड़ रूपये में) जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया

Particulars	UoM	FY17	FY18	FY 19	FY 20	FY 21
Gross Generation	MU	852.49	886.58	835.28	890.70	830.97
Auxiliary Consumption	%	10%	10%	10%	10%	10%
Ex-Bus Generation	MU	767.24	797.92	751.76	801.63	747.88
Station Heat Rate	kcal/kWh	2567	2567	2567	2567	2567
Normative Sp LDO Consumption	ml/kWh	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fixed Charges						
Depreciation	Rs Cr	6.27	6.95	8.18	8.94	9.10
Interest on Loan	Rs Cr	4.18	4.48	4.89	5.00	4.58
O&M expenses	Rs Cr	46.35	51.00	54.52	59.17	60.53
Return on Equity (Pretax)	Rs Cr	28.80	29.27	29.89	30.41	30.61
Interest on Working Capital	Rs Cr	12.15	12.79	12.54	13.38	12.88
Total Annual Fixed Charges – (1)	Rs Cr	**97.74**	**104.50**	**110.02**	**116.90**	**117.70**
Rate of Energy Charges	Rs/kWh	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578
Total Energy Charges–(2)	Rs Cr	**197.76**	**205.67**	**193.77**	**206.62**	**192.77**
Annual Revenue Requirement – (1) + (2)	**Rs Cr**	**295.50**	**310.17**	**303.79**	**323.53**	**310.47**

इकाई–3 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (करोड़ रूपये में) जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

Particulars	UoM	FY 17	FY 18	FY 19	FY 20	FY 21
Gross Generation	MU	860.93	815.52	893.52	832.40	893.52
Auxiliary Consumption	%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
Ex-Bus Generation	MU	774.84	733.97	804.17	749.16	804.17
Station Heat Rate	kcal/kWh	2577	2577	2577	2577	2577
Normative Sp LDO Consumption	ml/kWh	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fixed Charges						
Depreciation	Rs Cr	7.76	8.62	9.71	10.40	10.56
Interest on Loan	Rs Cr	3.67	4.26	4.58	4.64	4.27
O&M expenses	Rs Cr	40.29	43.51	48.21	50.74	53.33
Return on Equity (Pretax)	Rs Cr	27.74	28.40	28.97	29.42	29.63
Interest on Working Capital	Rs Cr	11.90	11.68	12.79	12.33	13.11
Total Annual Fixed Charges – (1)	Rs Cr	**91.36**	**96.47**	**104.24**	**107.54**	**110.90**
Rate of Energy Charges	Rs/kWh	2.587	2.587	2.587	2.587	2.587
Total Energy Charges – (2)	Rs Cr	**200.42**	**189.84**	**208.00**	**193.77**	**208.00**
Annual Revenue Requirement – (1) + (2)	**Rs Cr**	**291.78**	**286.32**	**312.24**	**301.31**	**318.91**

g) झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड (जे०यू०एस०एन०एल०)

झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड **(जे०यू०एस०एन०एल०)** भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन झारखण्ड सरकार के पूर्व **जे०एस०ई०बो०** के पुर्नगठन के निर्णय के अनुसार निगमित किया गया है।

जे०एस०ई०बी० का पुनगठन झारखण्ड सरकार के ''भाग - XIII - बोर्ड/समिति का पुर्नगठन '' विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 131 के साथ पढ़ा जानेवाला के अनुसार किया गया था। जे०यू०एस०एन०एल० का गठन झारखण्ड सरकार के प्रावधानों के अधीन, स्थानान्तरण योजना के रूप में सामान्य संकल्प के द्वारा अधिसूचना सं0–8, दिनांक 6 जनवरी 2014 हुआ और कम्पनियों के पंजीयक, राँची द्वारा विधिवत पंजीकृत है। जे०यू०एस०एन०एल० दिनांक 23 अक्टूबर 2013 को कम्पनियों के पंजीयक, राँची द्वारा निगमित हुआ था और दिनांक 28 नवम्बर, 2013 को व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया।

जे०यू०एस०एन०एल० विद्युत अधिनियम, 2003 **(EA, 2003)** के प्रावधानों के अधीन एक संचरण अनुज्ञप्तिधारी है जिसे झारखण्ड राज्य में संचरण लाइनस स्थापित और संचालित करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त है और पूरे झारखण्ड राज्य में स्थित इसके उपभोक्तओ के लिए विद्युत के संचरण के व्यवसाय में लगा हुआ है।

आयोग ने नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बहुवर्षीय शुल्क के लिए व्यवसाय योजना और ARR की मंजूरी पर और झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जे०यू०एस०एन०एल०) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए संचारण शुल्क पर 24 फरवरी, 2018 को आदेश अधिसूचित किया।

ARR जैसा कि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मंजूर किया गया (करोड़ रूपये में)

Particulars	FY17	FY18	FY19	FY21	FY21
O&M Expenses	72.59	76.84	99.88	121.93	145.33
Depreciation Expenses	54.03	82.16	132.09	182.34	265.98
Interest &Finance Charges	73.35	135.75	94.14	133.87	190.14
Interest on WC	7.78	9.98	11.36	14.48	19.54
Return on Equity Capital	55.37	55.37	55.37	55.37	91.70
Aggregate Revenue Requirement	**263.13**	**360.09**	**392.85**	**507.99**	**712.70**
Less: Non-Tariff Income	5.90	6.20	6.51	6.83	7.17
Revenue Gap of previous tariff order	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aggregate Revenue Requirement from Transmission	**257.22**	**353.89**	**386.34**	**501.16**	**705.53**

आयोग रूपये 0.25 प्रति KWH संचारण शुल्क वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए मंजूर किया है, जो संशोधन अथवा परिर्वतन तक लागू रहेगा अथवा इस आयोग के एक आदेश द्वारा विस्तारित होगा।

12. एफ०ओ०आर०, एफ०ओ०आई०आर, एसएएफआईआर, फ०ओ०आर० ई०एन०स० , अन्तर्राष्ट्रीय नियामक मंच, सीआईजीआरई आदि का बैठक

बैठकों में शामिल अध्यक्ष/सदस्यगण निम्नलिखित हैः–

- 21 अप्रल 2017 को गुवाहाटी में एफ0ओ0आर0 की 59वीं० बैठक
- 27–30 अप्रल 2017 तक गैगंटोक में 7वीं० एफ०ओ०आर०ई०एन०स० बैठक
- नई दिल्ली, भारत में 12 मई 2017 को आयोजित एसएएफआईआर संचालन समिति की 23वीं० बैठक
- सी०ई०आर०सी०/एस०ई०आर०सी०एस० के अध्यक्ष की केन्द्रीय राज्य मंत्री के साथ बिजली के लिए बातचीत और 22 और 23 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में नियामकों के मंच (एफ०ओ०आर०) की 18वीं० वार्षिक आम सभा बैठक।
- जुसको (JUSCO) द्वारा जमशेदपुर में 3 अगस्त, 2017 को आयोजित DSM कार्य योजना पर बैठक
- 9 अक्टबर 2017 को नई दिल्ली में नियामकों के मंच का ''बिजली का गुणवत्ता'' पर उप समूह की चौथी बैठक
- नियामकों के मंच का 15 दिसम्बर 2017 को नई दिल्ली में 62वीं0 बैठक
- 8 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में विद्युंत नियामक के साथ बिजली और NRE पर माननीय राज्य मंत्री (I/C) की बातचीत।
- 15–17 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में '' विश्व सततीय विकास शिखर सम्मलन 2018'' की बैठक।
- 22 फरवरी 2018 को कोलकता में छत के ऊपर सौर (Roof Top Solar) पर FOREN तकनीकी कार्यशाला
- 9 मार्च 2018 को CBIP कार्यकारी समिति और CBIP की आम सभा की संयुक्त बैठक

13. उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र

विद्युत अधिनियम 2003, के अनुच्छेद 42(5) और 42(6) के निर्देशानुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण न्यायाधिकरण और आयोग द्वारा नियुक्त विद्युत लोकपाल द्वारा गठित, राज्य में प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRFs) का गठन और EO क कार्यालय ने विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के तीव्र और किफायती निवारण के लिए सक्षम बनाया है।

13.1 उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF)

वर्त्तमान में राज्य में 9 CGRFs कार्य कर रहे हैं जिनमें से 5 झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि0 द्वारा गठित किए गए है और बाको अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, यानी, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड, सेल–बोकारों और दामोदर घाटो निगम द्वारा। प्रत्येक CGRFs में एक अध्यक्ष–सह–सदस्य (विधि) और दो सदस्य शामिल है। CGRFs का अध्यक्ष आयोग द्वारा नामांकित एक स्वतंत्र सदस्य होता है। झा०एस०ई०आर०सी० नियम, 2011 (उपभोक्तओं के शिकायातों के निवारण के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना और विद्युत लोकपाल के लिए दिशा निर्देश) के प्रावधान के अनुसार। माननीय अध्यक्ष के साथ माननीय सदस्यगण भी शामिल हुए।

13.2 Detail of the CGRFs at present functioning in the State and the area covered by it is shown in the table below :-

क्र0सं0	अनुज्ञप्तिधारी का नाम	उपभोक्ता शिकायत फोरम का नाम	क्षेत्र
1.	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	I. विद्युत उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम (VUSNF), रॉची ।	रॉची, खूँटी, सिमडेगा, गुमला एवं लोहरदगा ।
		II. विद्युत उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम (VUSNF), हजारीबाग ।	हजारीबाग, गिरीडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा, कोडरमा एवं रामगढ़ ।
		III. विद्युत उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम (VUSNF), दुमका ।	दुमका, जामतारा, देवघर, गोड्डा, पाकुर एव साहेबगंज ।
		IV. विद्युत उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम (VUSNF), चाईबासा ।	पूर्वी सिंहभूम, पष्चिमी सिंहभूम, सराईकेला–खरसावां ।
		V. विद्युत उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम (VUSNF), पलामू ।	मेदिनीनगर, गढ़वा एवं लातेहार ।
2.	टाटा स्टील	उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम (CGRF)	जमषेदपुर टाउनषिप ।
3.	जुस्को	उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम (CGRF)	सराईकेला–खरसावां ।
4.	सेल	उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम (CGRF)	बेकारो स्टील सिटी टाउनषिप ।
5.	डी0वी0सी0	उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम (CGRF), मैथन	सिर्फ डी0वी0सी0 कमाण्ड एरिया ।

13.3 Details of the grievances dealt with the by the different CGRFs during the Calendar Year 2016are shown in Table A and B.

तालिका – A

झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2017–18 (अप्रैल–मार्च) में प्राप्त शिकायतों की सूची

क्र0सं0	उपभोक्ता शिकायत फोरम का नाम (क्षेत्र)	वर्ष 2017 से आगे	शिकायतें प्राप्त	निष्पादित मामले
1	रॉची	05	04	08
2	हजारीबाग	15	19	18
3	दुमका	02	07	05
4	मेदिनीनगर	02	03	01
5	चाईबासा	14	07	10

तालिका - B
अन्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वर्ष 2017–18 (अप्रल–मार्च) में प्राप्त शिकायतों की सूची

क्र0सं0	उपभोक्ता शिकायत फोरम का नाम	लंबित मामले	शिकायतें प्राप्त	निष्पादित मामले
1	टाटा स्टील लिमिटेड	0	01	01
3	जुस्को	0	0	0
4	सेल बोकारो	0	0	0
5	डी0वी0सी0	01	0	0

14. विद्युत लोकपाल

14.1 विद्युत लोकपाल कार्यालय भागीरथ कॉम्पलेक्स, आदिवासी हॉस्टल के समीप, करमटोली, राँची के चौथे तल्ले पर स्थित है। वर्त्तमान में श्री प्रेम प्रकाश पांडेय, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल जिला एवं सेवाजज, विद्युत लोकपाल हैं।

14.2 वर्ष 2017–18 में विद्युत लोकपाल द्वारा निपटाये गये शिकायतों का विवरण

F.Y 2017-18				
S.N.	**Electricity Ombudsman**	**Pending Cases**	**Complaints Received**	**Disposed Cases**
1.	Ranchi	08	09	16

15. वृतान्त एवं कार्यक्रम

A. मान्नीय अध्यक्ष डा0 अरविन्द प्रसाद का कार्यालय में आगमन

नए अध्यक्ष माननीय डा0 अरविन्द प्रसाद को माननीय सदस्य श्री रविन्द्र नारायण सिंह बधाई देते हुए ।

मीडिया से माननीय अध्यक्ष डा0 अरविन्द प्रसाद बातचीत करते हुए ।

B. स्वतंत्रता दिवस समारोह 2018

माननीय अध्यक्ष डा0 अरविन्द प्रसाद झण्डोत्तोलन करते हुए

C. दिनांक 15.9.2017 को राज्य सलाहकार समिति की बैठक

बैठक में माननीय अध्यक्ष डा0 अरविन्द प्रसाद

D. दिनांक 11 दिसम्बर 2017 को ए०पी०एन०आर०एल० की जनसुनवाई

E. जे०यू०एस०एन०एल० की जनसुनवाई

F. गणतंत्र दिवस समारोह

G. 21 मार्च 2018 को हुई राज्य सलाहकार समिति की बैठक

बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष डा0 अरविन्द प्रसाद एवं माननीय सदस्य (तकनीकी) श्री रविन्द्र नाराय सिंह

H. दिनांक 21 मार्च 2018 को हुई विद्युत आपूर्ति संहिता समीक्षा पैनल की बैठक

16. आयोग के कामकाज

आयोग को विभिन्न प्रकार के कार्यो के संपादन क लिए अधिनियम के अधीन शासनादेश प्राप्त है। अपनी जिम्मेदारियों का निवहन करने में आयोग की दक्षता आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव के साथ–साथ अधिकारियों की गुणवत्ता और दक्षता पर निर्भर करतो है।

a) **वर्तमान में, आयोग के संपर्क अधिकारी निम्न है–**

क्र०सं०	अधिकारियों के नाम	पद
1.	श्री ए॰ के॰ मेहता	सचिव
2.	श्री आर॰ पी॰ नायक	विधि अधिकारी

b) **इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के लिए, आयोग में विद्युत लोकपाल के साथ–साथ अध्यक्ष तथा सभी लाइसेंस धारकों के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है–**

क्र०सं०	नाम (श्री)	पद
1.	प्रम प्रकाश पाण्डेय	विद्युत लोकपाल
2.	घनश्याम कुमार मल्लिक	अध्यक्ष, झा॰बि॰वि॰नि॰लि॰, राँची
3.	जयंत प्रसाद	सदस्य, झा॰बि॰वि॰नि॰लि॰, राँची
4.	लंबोदर कामंत	सदस्य, झा॰बि॰वि॰नि॰लि॰, राँची
5.	ए॰ के॰ चतुवदी	अध्यक्ष, झा॰बि॰वि॰नि॰लि॰, चाईबासा
6.	अशोक कुमार	सदस्य, झा॰बि॰वि॰नि॰लि॰, चाईबासा
7.	शिव पूजन तिवारी	अध्यक्ष, झा॰बि॰वि॰नि॰लि॰, दुमका
8.	चंद्र भुषण सिंह	अध्यक्ष, झा॰बि॰वि॰नि॰लि॰, हजारीबाग
9.	ओम प्रकाश	अध्यक्ष, झा॰बि॰वि॰नि॰लि॰, हजारीबाग
10.	आर॰ आर॰ त्रिपाठी	अध्यक्ष, झा॰बि॰वि॰नि॰लि॰, मेदनीनगर
11.	अभय शंकर मिश्रा	अध्यक्ष, डी॰वी॰सी॰, मैथन
12.	राजेश कुमार	सदस्य, डी॰वी॰सी॰, मैथन
13.	आई॰ नंदी	सदस्य, डी॰वी॰सी॰, मैथन
14.	जय प्रकाश सिंह	अध्यक्ष, सेल, बोकारो
15.	एन॰ एन॰ झा	सदस्य, सेल, बोकारो
16.	सूजोय कुमार	सदस्य, सेल, बोकारो

क्र०सं०	नाम (श्री)	पद
17.	महमूद काशिम	अध्यक्ष, जुस्को, जमशेदपुर
18.	दीपक पी॰ कामथ	सदस्य, जुस्को, जमशेदपुर
19.	ए॰ एन॰ चौधरी	सदस्य, जुस्को, जमशेदपुर
20.	नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	अध्यक्ष, टी॰एस॰एल॰, जमशेदपुर
21.	उमेश प्रसाद	सदस्य, टी॰एस॰एल॰, जमशेदपुर
22.	अवनीश अरुण	सदस्य, टी॰एस॰एल॰, जमशेदपुर

17. लेखांकन

झा०एस०ई०आर०सी० निधि नियम 2009, झारखण्ड सरकार, ऊर्जा विभाग द्वारा 21.11.2009 को अधिसूचित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ, आयोग के खातों को बनाए रखने के लिए प्रारूप निर्धारित करता है। तदनुसार, आयोग नियमों का पालन करता है और अपना लेखाकंन निर्धारित प्रारूप में तैयार करता ह, जो वित्तीय वर्ष 2016–17 तक अद्यतन किया गया है।

लेनदेन लेखा परीक्षा भी महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 तक किया गया है।

18. वार्षिक रिपोर्ट समिति

माननीय अध्यक्ष द्वारा गठित समिति, जिसमें श्री ए0 के0 मेहता, सचिव और निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के रूप में लिखित समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

Name with Designation	
Shri A.K.Mehta Secretary	Chairman
Rajendra Prasad Nayak Law Officer, Accounts Officer and Public Information Officer	Member
Praveen Kumar Computer Operator	Member

19. अनुलग्नक–1

A) झारखण्ड राज्य विद्युत विनायमक आयोग में दायर की गई याचिका की स्थिति

वर्ष 2017 के दौरान स्थानान्तरित	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल	निष्पादिता	शेष
34	25	59	25	34

B) शुल्क आदेश–

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 9 शुल्क आदेश पारित किया।

क्र०	वाद संख्या तथा वादी का नाम	विषय	निष्पादन की तिथि
1.	वाद (टी) संख्या 2016 का 2 तथा दामोदर घाटी निगम (दा0 घा0 नि0)	वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के बीच के आदेश को सत्यापित किया गया तथा दामोदर घाटी निगम झारखण्ड के नियंत्रित क्षेत्र का वित्तीय वर्ष 2014–15 का वार्षिक उपलब्धि की समीक्षा की गई	19.04.2017
2.	2016 का वाद संख्या 06 इंलैण्ड पावर लिमिटेड (IPL)	वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 के MYT नियंत्रित अवधि के लिए व्यापार योजना का आदेश जारी किया गया।	16.05.2017
3.	2016 का 11 इंनलैण्ड पावर लि0 (IPL)	वित्तीय वर्ष 2014–15 के ARR को सत्यापित किया गया, पूंजीगत लागत की याचिका आदेश पारित की गई तथा वित्तीय वष 2015–16 के वार्षिक उपलब्धि की समीक्षा की गई तथा इनलैण्ड पावर लि0 (IPL) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक ARR तथा शुल्क का निर्धारण किया गया।	16.05.2017
4.	वाद सं0 2016 का 12 राँची म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट प्राइवेट लि0 (RMPL)	RMPL योजना के लिए, 11.5 MW म्यूनिसिपल सोलिड बेस्ड (MSW) उत्पादन शुल्क की वसूली का निर्धारण, आदेशानुसार किया गया	21.06.2017
5.	वाद संख्या 2016 का 08 झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL)	वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 की अवधि के लिए MYT नियंत्रित हेतु व्यापार योजना का आदेश पारित की गई तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए	21.06.2017

क्र०	वाद संख्या तथा वादी का नाम	विषय	निष्पादन की तिथि
		शुल्क का निर्धारण किया गया।	
6.	वाद संख्या 2016 का 10 झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0, झा0 बि0 वि0 नि0 लि0	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के अवधि के लिए **MYT** नियंत्रित अवधि हेतु **ARR** तथा शुल्क निर्धारण का आदेश जारी	21.06.2017
7.	वाद सं0 2016 का 13 आधुनिक पावर एण्ड नेचुरल रिसोर्स (एपीएनआरएल)	दिनांक 01.09.2016 के शुल्क आदेश की समीक्षा की गई जिसे की झा०एस०ई०आर०सी० ने वाद संख्या 2015(T) संख्या 05 के तहत् जारी किया गया।	09.01.2018
8.	वाद सं0 2016 का 15 आधुनिक पावर एण्ड नेचुरल रिसोर्स (एपीएनआरएल)	वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कोयला अधारित बिजली सयंत्र जे0 यू० वी०एन०एल०/जे०बी०वी०एन०एल० के लिए 540 MW क्षमता कि आपूर्ति का सामंजस्य ओदश।	19.02.2018
9.	वाद संख्या 2017 का 1 (एपीएनआरएल)	नियंत्रित अवधि जो कि वित्तीय वर्ष 2016–2021 के लिए प्रारंभ की गई थी उसके लिए **ARR** तथा शुल्कों का निर्धारण तथा व्यापार योजना का उद्देश्य जारी किया गया।	19.02.2018
10.	वाद संख्या 2017 का 05 टाटा पावर कंपनी लि0 **(TPCL)**	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक के लिए द्वितीय **MYT** याचिका का आदेश जारी किया गया तथा जिसे कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में सत्यापित किया गया	19.02.2018
11.	वाद संख्या 2016 का 16 टाटा पावर कंपनी लि0 (टीपीसीएल)	टीपीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के अवधि के लिए द्वितीय व्यापार योजना का आदेश को मान्यता दी गई।	19.02.2010
12.	वाद संख्या 2017 का 3 झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय नियंत्रिय अवधि के लिए **MYT** याचिका का आदेश दिया गया।	24.02.2018
13.	वाद संख्या 2016 का 17 झारखण्ड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय नियंत्रित अवधि के लिए **MYT** व्यापार योजना का आदेश जारी	24.02.2018

क्र०	वाद संख्या तथा वादी का नाम	विषय	निष्पादन की तिथि
14.	वाद संख्या 2017 का 06 इनलैण्ड पावर लि0 (आईपीएल)	इनलैण्ड पावर लि0 (IPL) क लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु ARR को सत्यापित किया गया तथा उस आदेश को मान्यता दी गई।	19.03.2018

c) वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान याचिकाओं का निष्पादन

क्र०	प्रकर्ण संख्या तथा वादी का नाम	विषय	निष्पादन की तिथि
1.	2016 का 13 लिली बाला सिंह बनाम् झा0 ऊर्जा विकास निगम लि0 तथा अन्य	2016 के वाद संख्या 13 का आदेश	20.04.2017
2.	2017 का 02 मे0 जमशेदपुर यूटिलाइटिस एण्ड सर्विसेस कंपनी लिमिटेड	लाइसेंसधारियों के लिए मांग पक्ष प्रबंधन कार्य योजना के अनुमोदन के लिए एक याचिका	08.08.2017
3.	2017 का 01 झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	उन आवेदकों को अस्थायी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रदान करना जिनके पास प्रावधानों के अनुसार नई ईलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए स्वामित्व के स्वीकार्य प्रमाण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज नहीं है या आधार के अधिग्रहण के लिए आधार नहीं है।	08.08.2017
4.	2017 का 09 मे0 इनलैण्ड पावर लिमिटेड (आई पी एल) बनाम झा0 बिजली वितरण निगम लिमिटेड (झा0बि0वि0नि0लि0) 2017 का 09	16.05.2017 के अंतिम आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन। 2016 के 06 और 11 के मामले में वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सत्यापित करना।	17.10.2017
5.	2017 का 04 मे0 भारद्वाज स्टील प्राइवेट लि0 बनाम् दामोदर घाटी निगम तथा अन्य	विद्युत आपूर्ति के अनुदान के लिए याचिकाकर्त्ता से पर्यवेक्षण/सर्वेक्षण शुल्क और सेवा कर के रूप में लगाया गया शुल्क को अनुमानित धनवापसी के लिए लाइसेंसधारक पर एक दिशा निर्देश के लिए एक आवेदन	12.12.2017

क्र०	प्रकर्ण संख्या तथा वादी का नाम	विषय	निष्पादन की तिथि
6.	2017 का 10	विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 36 (1) (आ) तथा (ब) के तरह एक आवेदन	27.12.2017
7.	2016 का 13 (टी)	वाद संख्या 2016 का 13 (शुल्क) पर आदेश	09.01.2018
8.	सूओ मोटो का मामला संख्या 2016 का 09	सूओ मोटो का वाद संख्या 2016 का 09	09.01.2018
9.	मामला संख्या 2016 का 12 एस0पी0तिवारी बनाम् जेएसईबी/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा अन्य	वाद संख्या 2016 का 12 पर आदेश	09.01.2018
10.	2017 का 05 मे0 कृष्णा प्लास्टिक बनाम् जमशेदपुर यूटिलिटिज एण्ड सर्विसेस कंपनी लि0 तथा अन्य	अपील संख्या ईओजे/06 /2015 के विरूद्ध विद्युत लोकपाल के द्वारा एक आदेश पारित किया गया तथा मामला संख्या पीबीडी/सीजीआरएफ/01 /15 जो कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, जूस्को, सरायकेला– खरसावां के पास दायर की गई थी उस संदर्भ में दिनांक 13.07.2015 को एक आदेश जारी की गई।	11.01.2018
11.	2017 का 07 डीवीसी एच टी झारखण्ड के उपभोक्ताओं का संगठन बनाम् दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)	2006–07 के 2014–15 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से एकत्रित अतिरिक्त शुल्क वापस करने की दिशा निर्देश मांगना	19.01.2018

D) न्यायालय में चुनौती वाले आदेश या एपीटीईएल

क्र०	वाद संख्या तथा वादी का नाम	विषय	निष्पादन की तिथि
1.	आईएसंख्या 710, 2016 का 708, 2016 का 709, 2016 का डीएसआर संख्या 3024	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम् झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग तथा अन्य	04.07.2017
2.	2016 का ए०नं० 48 2016 का ए० नं० 316 तथा 2016 का आई ए० संख्या 656	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम् झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग तथा अन्य	31.05.2017

20. अनुलग्नक–II

झारखण्ड विद्युत लोकपाल द्वारा मामलो का निष्पादन

क्र०सं०	ममला संख्या	दिनांक	अपील करने वाला	प्रतिवादी
01	ईओजे / 06 / 2017	27.03.2018	झा० ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	मे० यूनाइटेड स्टील, आर टी मेयलिक्स प्राइवेट लि0 की एक इकाई
02	क्रियान्वयन याचिका ईओजे / 02 / 2017	31.01.2018	श्रीमती सुषमा देवी	जेयूबीएनएल तथा अन्य
03	क्रियान्वयन याचिका ईओजे / 01 / 2017	16.01.2018	सरोज ठाकुर	जेयूबीएनएल तथा अन्य
04	ईओजे / 08 / 2017	14.12.2017	झा० ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	मे० कोहिनूर स्टील प्राइवेट लि0
05	ईओजे / 07 / 2017	04.12.2017	मे0 कोहिनूर स्टील प्राइवेट लि०	झा० ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
06	ईओजे / 05 / 2017	24.10.2017	झा० राज्य विद्युत बोर्ड, जिसे कि झा० ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	मे० कॉरपोरेट इस्पात ओलेथस लिमिटेड
07	ईओजे / 9 / 2017	17.10.2017	सरोज ठाकूर	झा० ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा अन्य
08	ईओजे / 2 / 2017	07.09.2017	झा० ऊर्जा विकास निगम लि0	मे० कल्पना सीमेंट
09.	ईओजे / 1 / 2017	24.08.2017	झा० ऊर्जा विकास निगम लि0	के०वाई०एस० मैन्युफैक्चर्स एण्ड एक्सपोटर्स (पी०) लि०
10.	ई ओ जे / 8 / 2016	4.8.2017	झा० राज्य विद्युत बोर्ड	लिली बाला सिंह
11.	ई ओ जे / 4 / 2017	21.10.2017	मे० संतोष इस्पात	झा० ऊर्जा वितरण निगम लि० तथा अन्य
12.	ई ओ जे / 10 / 2016	19.06.2017	झा० ऊर्जा विकास निगम लि०	मे० माँ छिन्नमस्तिका स्पॉन्ज आयरन
13.	ई ओ जे / 11 / 2016	02.05.2017	सैनिक कल्याण निदेशालय	झा० ऊर्जा वितरण निगम लि० तथा अन्य
14.	ई ओ जे / 03 / 2016	02.05.17	महेन्द्र चौधरी	झा० ऊर्जा वितरण निगम लि० तथा अन्य
15.	ई ओ जे / 07 / 2016	25.04.2017	सुनील डालमीया	झा० ऊर्जा वितरण निगम लि०
16.	ई ओ जे / 09 / 2016	11.04.2017	भैया सुरेन्द्र नाथ शाह	झा० ऊर्जा वितरण निगम लि० तथा अन्य

21. अनुलग्न–III

Sl.No.	Name of Generators
1.	Jharkhand Urja Utpadan Nigam Ltd.
2.	Tenughat Vidyut Nigam Ltd.
3.	Tata Power Company Ltd.
4.	Damodar Valley Corporation.
5.	Bokaro Power Supply Company (P) Ltd.
6.	Adhunik Power And Natural Resources Ltd.
7.	Inland Power Ltd.

Sl.No.	Name of Licensee (Including Deemed Licensees)	Area
1	Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited (JUSNL)	State wide transmission licensee
2	Jharkhand BijliVitran Nigam Limited (JBVNL)	State wide
3	Tata Steel Ltd. (TSL)	Jamshedpur Township
4	Steel Authority of India Limited (SAIL)	Bokaro Steel City Township
5	Damodar Valley Corporation (DVC)	Deemed Licensee
6	Jamshedpur Utilities Services Company Limited (JUSCO)	Adityapur Township (license granted on 1st of December 2006 for 25 years)

22. अनुलग्नक–IV

झारखण्ड ऊर्जा क्षेत्र का अवलोकन

Generating Company	Type	Capacity (MW)
State Owned Generation		
Subarnrekha HPS	State- Hydro	130
TVNL	State- Thermal	420
Total StateOwned Generation		**550**
IPPs		
IPL	IPP- Thermal	63
ADHUNIK	IPP- Thermal	540
Maithon TPS	IPP- Thermal	1050
TPCL	IPP- Thermal	240
Total IPPs		**1893**

Generating Company	Type	Capacity (MW)
DVC		
Bokaro- B	DVC- Thermal	210
Bokaro- A	DVC- Thermal	500
Chandrapura- 3	DVC- Thermal	130
Chandrapura- 7&8	DVC- Thermal	500
Koderma-1&2	DVC- Thermal	1000
Panchet	DVC- Hydro	80
Tilaiya	DVC- Hydro	4
Total DVC		**2424**
Renewables	IPP- Solar	**14**
CPP*		**824.5**
Off-Grid Generation*		**8**
TOTAL		**5714**

- Based on data provided by JREDA

राज्य के अंतर्गत संपूर्ण स्थापित क्षमता का विवरणः

राज्य के अंतर्गत स्थापित क्षमता का सारांश का वर्णन स्वामित्व एवं स्थापित क्षमता पर आधारित है।

➢ जरेडा द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर

आज की तारीख तक (वर्तमान तिथि तक) झारखण्ड राज्य के अंतर्गत स्थापित क्षमता 5714 मेगावाट है, जिसमें कोयला आधारित तापीय उत्पादन संयंत्र (जिसमें CPP'S भी शामिल है) का योगदान 5478 मेगावाट है।

राज्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में संपूर्ण उत्पादन का विवरणः

CEA उत्पादन रिपोर्ट पर आधारित वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वास्तविक संयंत्रवार उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया हैः

Generating Company	Type	Capacity (MW)
Subernrekha HPS	State- Hydro	190.38
TVNL	State- Thermal	1933.31
IPL	IPP- Thermal*	364.40
ADHUNIK	IPP- Thermal	2909.92
Maithon TPS	IPP- Thermal	7345.34
TPCL	IPP- Thermal	1618.38
Bokaro- B	DVC- Thermal	573.94
Bokaro- A	DVC- Thermal	2924.25
Chandrapura- 3	DVC- Thermal	4075.82

Generating Company	Type	Capacity (MW)
Chandrapura- 7&8	DVC- Thermal	
Koderma-1&2	DVC- Thermal	5911.30
Panchet	DVC- Hydro	141.94
TOTAL		**28008.68**

➢ IPL द्वारा प्रस्तुत नवीनतम सच याचिका के अनुसार

राज्य में उपयोगिताओं का विवरणः

उत्पादन–

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (JUVNL)

भूतपूर्व JSEB के पुर्ननिर्माण में झारखण्ड सरकार के निर्णय के अनुसार झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि0 (JUVNL) भारतीय कंपनो अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित किया गया है।

झारखण्ड सरकार द्वारा JSEB का कथित पुननिर्माण, ''भाग–XIII- बोर्ड (समिति/मंडल) का पुर्ननिर्माण'' जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुभाग 131 के साथ पढ़ते है, के अनुसार किया गया है।

नियंत्रक कंपनी को 16 सितम्बर 2013 को कंपनियों के पंजीयक, झारखण्ड रांची के साथ शामिल किया गया और उसने व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र 12 नवम्बर 2013 को प्राप्त किया।

झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि0 (JUVNL) को 23 अक्टूबर 2013 को कंपनियों के पंजीयक, झारखण्ड, राँची के साथ शामिल किया गया और उसने 28 नवम्बर 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया।

यह झारखण्ड सरकार के प्रावधानों के तहत्, अधिसूचना सं0 8 दिनांक 6 जनवरी 2014 के द्वारा स्थानान्तरण योजना के रूप में सामान्य संकल्प द्वारा अधिसूचित कंपनी है।

उत्पादक कंपनी– झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि0 कंपनियों के पंजीयक, रांची के साथ दिनांक 23 अक्टूबर 2013 को विधिवत् रूप से पंजीकृत है।

असमायोजन के पूर्व JSEB के उत्पादन कार्य हेतु दो संयंत्र थे अर्थात् 840 मेगावाट क्षमता का विद्युत/शक्ति पतरातू ताप संयंत्र (PTPS) एवं 130 मेगावाट का सिकिदरी जल विद्युत/शक्ति संयंत्र (SHPS) हालांकि, दिनांक 20 नवम्बर 2015 के झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित स्थानान्तरण योजना में असमायोजन के पश्चात् अर्थात् 6 जनवरी 2014 से PTPS सीधे झारखण्ड सरकार में निहित है। अतः JUVNL वर्तमान में सिर्फ 130 (2x65) मेगावाट की SHPS विद्युत/शक्ति उत्पादन संयंत्र का ही मालिक है।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL)

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड **(TVNL),** भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत् 1987 में गठित झारखण्ड सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक उत्पादक कंपनी है। यह तेनुघाट ताप शक्ति/विद्युत संयंत्र के दो इकाइयों (इकाई I एवं II) का संचालन करता है। प्रत्येक इकाई की स्थापित शक्ति/विद्युत उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट है। इकाई I ने सितम्बर 1996 में संचालन शुरू किया एवं इकाई II ने सितम्बर 1997 में। झारखण्ड राज्य के निर्माण के साथ 15 नवम्बर 2000 से यह झारखण्ड सरकार का उपक्रम हो गया है।

टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (TPCL)

सन् 1923 में भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के धारा 28(1) के अंतर्गत जमशेदपुर टाउनशिप क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए **TISCO** (अब **TSL**) को स्वोकृति प्रदान की गई थी।

बाद में, बिहार सरकार के अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 1993 के द्वारा जमशेदपुर शक्ति/विद्युत वितरण कॉ0 लि0 **(JAPCOL)** के स्थापना की अनुमति प्रदान की गई, जैसा कि **TISCO** ने जोजोबेड़ा जमशेदपुर में इकाई 2 और इकाई 3 के स्थापना का प्रस्ताव दिया था।

दोनो पार्टियों ने 12 सितम्बर 1997 को एक **PPA** पर हस्ताक्षर किया जिसके अंतर्गत दोनों पार्टियाँ, चरणबद्ध तरीके से जोजोबेड़ा में एक विद्युत/शक्ति संयंत्र जिसकी कुल क्षमता 500 मेगावाट तक हो, की स्थापना हेतु सहमत हुई। **PPA** में कुछ प्रावधान शामिल थे, जो जोजोबेड़ा विद्युत संयंत्रण में विद्युत उत्पादन एवं **TSL** द्वारा उसके खरीद के दर का निर्धारण को शासित करते थे।

अप्रल 2000 में, **JAPCOL,** टाटा शक्ति कंपनी लि0 में इसकी सहायक के रूप में शामिल हो गई। वर्तमान में, **TPCL** जोजोबेड़ा विद्युत संयंत्र में पाँच इकाईयों का संचालन करती है, जिसकी संचयी क्षमता 547.5 मेगावाट है, जिनमें से दो इकाईयो/(इकाई 2 एवं इकाई 3 प्रत्येक 120 मेगावाट क्षमता की) कमीशन के द्वारा दर निर्धारण के अधीन है, दोनो इकाईयों की क्षमता 120 मेगावाट प्रति इकाई है।

इनलैंड विद्युत लिमिटेड (IPL)

इनलैंड विद्युत लिमिटेड **(IPL)** ने परियोजना के निर्माण का कार्य 20 दिसम्बर 2011 को झारखण्ड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के पश्चात् शुरू किया। इसके प्रथम चरण के 63 मेगावाट का व्यवसायिक संचालन 21 मई 2014 को प्राप्त किया गया।

आधुनिक पावर एण्ड नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड (APNRL)

APNRL भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक कंपनी है। अक्टूबर 2005 में, **APNRL** ने झारखण्ड सरकार के साथ 1000 मेगावाट के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के विकास के समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

जिसके अनुसार **APNRL** ने प्रथम चरण में 540 मेगावाट (इकाई 1 एवं इकाई 2 प्रत्येक 270 मेगावाट की) के कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना की एवं द्वितीय चरण में अतिरिक्त 540 मेगावाट के कोयला आधारित विद्युत के विकास की योजना है। विद्युत संयंत्र का इकाई I, 3 नवम्बर 2012 को समक्रमिक किया गया था और इसके लिए COD की घोषणा 21 जनवरी, 2013 को की गई। विद्युत संयंत्र का इकाइ– II, 29 मार्च 2013 को समक्रमिक किया गया और उसके लिए COD की घोषणा 19 मई 2013 को की गई।

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (JUSNL)

भूतपूर्व **JSEB** के पुर्ननिर्माण के झारखण्ड सरकार के निर्णय के अनुसार झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0 (JUSNL) भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 अंतर्गत निगमित किया गया है।

झारखण्ड सरकार द्वारा JSEB का पूर्णगठन भाग–तेरह–बोर्ड/समिति का पुर्ननिर्माण'' जिसे विद्युत अधिनियम 2003 के अनुभाग 131 के साथ पढ़ते हैं, के अनुसार किया गया है।

JUSNL झारखण्ड सरकार के प्रावधानों के तहत, अधिसूचना सं0 8 दिनांक 6 जनवरी 2014 के द्वारा स्थानान्तरण योजना के रूप में सामान्य संकल्प द्वारा अधिसूचित एक कंपनी है। JUSNL को 23 अक्टूबर 2013 को कंपनियों के पंजीयक, झारखण्ड, राँची के साथ शामिल किया गया और उसने 28 नवम्बर 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

यह विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अधीन एक संप्रेषण अनुज्ञप्तिधारी है जिसे झारखण्ड राज्य में संप्रषण लाइन स्थापित अथवा संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

JUSNL के आधारभूत संरचना का विवरण:

Grid Substations (No.)	As on March 2018
440/220 kV	
220/132 kV or 220/132/33 kV	6
132/33 kV	33
Total No. of GSS	39

Transformation Capacity (MVA)	As on March 2018
440/220 kV	-
220/132 kV	2000
132/33 kV	3655
Total Transformation Capacity (MVA)	5655

Transmission Lines (Ckt. Km)	As on March 2018
440 (Presently operational at 220 kV)	180
220 kV	1069
132 kV	2209
Total Transmission Lines (Ckt. km)	3458

वितरण:

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL)

झारखण्ड सरकार के निर्णय के अनुसार भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत् पत्रांक सं0–1/बोर्ड–01–ऊर्जा–26/13–1745 दिनांक 28 जून 2013 को पूर्व के JSEB के असमूहीकरण के आलोक में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) को निगमित किया गया है।

झारखण्ड सरकार द्वारा JSEB का पूनगठन'' भाग–तेरह–समिति/बोर्ड का पुर्ननिर्माण'' जिसे विद्युत अधिनियम 2003 के अनुभाग 131 के साथ पढ़ते हैं, के अनुसार किया गया है। JBNVL झारखण्ड सरकार के प्रावधानों के अधीन अधिसूचना सं0 8 दिनांक 6 जनवरी 2014 के द्वारा स्थानान्तरण योजना के रूप में सामान्य संकल्प द्वारा अधिसूचित एक कंपनी है एवं यह कंपनियों के पंजीयक, राँची द्वारा विधिवत पंजीकृत है, को 23 अक्टूबर 2013 को कंपनियों के पंजीयक, झारखण्ड, राँची के साथ शामिल किया गया और उसने 28 नवम्बर 2013 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया।

JBVNL विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अधीन एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी है, जिसे झारखण्ड राज्य में विद्युत आपर्ति करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 922.77 MU की बिक्री एवं कुल 3385216 उपभोक्ताओं की अनुमति दे दी।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में JBVNL की आधारभूत संरचना की संपतियाँ निम्न प्रकार है–

Particulars	Nos.
Power Substation	798

Particulars	Ckt. km
11 kV	52884
33 kV (Incoming)	5420
33 kV (Outgoing)	2265

जमशदपुर युटिलिटीस सर्विसेस कंपनी लिमिटेड (JUSCO)

जमशेदपुर युटिलिटीस सर्विसेस कंपनी लिमिटेड (JUSCO) अगस्त 2003 में कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन और टाटा स्टील लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक निगमित कंपनी है। JUSCO मुख्य रूप से जमशेदपुर शहर में आधारभूत संरचना एवं विद्युत वितरण सेवाओं को पूरा करने के लिए निगमित किया गया है। विद्युत सेवाओं के अतिरिक्त, कंपनी की सेवाओं में जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बागवानी, अभियंत्रण एवं निर्माण शामिल है। JUSCO सरायकेला–खरसावां जिला में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 (JBVNL) के साथ में काम करनेवाला एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी है। यह भारत में पहला जिला है जहाँ दो उपयोगिताओं को विद्युत वितरण के लिए समांतर नेटवक्र बनाने की अनुमति दी गई है।

JUSCO ने 5 मई 2006 को जुस्को के पहले से ही सेवा क्षेत्र के साथ मिला हुआ सरायकेला–खरसावां राजस्व जिला के लिए वितरण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया था। आयोग ने उपरोक्त राजस्व जिला के लिए 1 दिसम्बर 2006 को वितरण अनुज्ञप्ति दिया और जुस्को ने सितम्बर 2007 में राजस्व जिला सरायकेला–खरसावां में अपने विद्युत वितरण सेवाओं की शुरूआत की।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 508.73 MU की बिक्री एवं कुल 2229 उपभोगताओं की अनुमति दे दी।

दामोदर घाटी निगम (DVC)

दामोदर घाटी निगम, दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के अधीन निगमित एक वैधानिक निकाय है, जिसका बहुआयामी कार्य है अर्थात् उत्पादन, संचारण एवं वितरण।

डीवीसी बिजली उत्पादन करता है और इसलिए विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 2(28) के अर्थ में यह एक उत्पादक कंपनी है। डीवीसी बिजली के संचारण का कार्य भी दामोदर घाटी क्षेत्र में करता है जो दो राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं अर्थात् पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के अंतर्गत आता है। यह इसलिए बिजली के अंतर राज्य संप्रषण का संचालन करता है और विद्युत अधिनियम 2003, के अनुच्छेद 2 (36) के अर्थ में अन्तराज्य संप्रषण प्रणाली व्यवस्था का संचालन करता है। डीवीसी अपनी क्षमता के अंदर सामान्यतः एक उत्पादक कंपनी के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) और झारखण्ड विद्युत वितरण निगम लि0 (JBVNL) को बिजली बेचती है। विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 62(1)(a) के अर्थ में यह उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बिजली की थोक बिक्री है। उपरोक्त के अतिरिक्त डीवीसी विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 62(d) के साथ अनुच्छेद 86(i) के प्रावधानों के अधीन दामोदर घाटी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की खुदरा बिक्री एवं आपूति करती है।

डीवीसी, डीवीसी अधिनियम 1948 के अधीन गठित एक वैधानिक निकाय होने के नाते, एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) है। विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 79(1)(a) के अधीन जैसा कि परिक्ल्पना की गई है। बिजली के उत्पादन के लिए दर का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार, अंतर–राज्य उत्पादन और संप्रषण के संबंध में, डीवीसी पुनः CERC द्वारा विनियमित है और समग्र (अंर्तराज्य) उत्पादन और संप्रषण के लिए दर का निर्धारण CERC द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 79(1)(c) और (d) के रूप मे किया जाना है।

बिजली के खुदरा बिक्री एवं आपूर्ति के संबंध में, डीवीसी पूरे दामोदर घाटी क्षेत्र जो दो संगत राज्यों, अर्थात् पश्चिम बंगाल राज्य एवं झारखण्ड राज्य में पड़ता है, को आच्छादित करता है। इस प्रकार दामोदर घाटी क्षेत्र में बिजली के खुदरा बिक्री एवं आपूर्ति के लिए दर विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 62(d) के साथ अनुच्छेद 86(1) के प्रावधानों के खुदरा दर का निर्धारण झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा०एस०ई०आर०सी०) द्वारा होता है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 10896.84 MU के बिक्री एवं कुल 1786 उपभोक्ताओं की अनुमति दी।

टाटा स्टील लिमिटेड (TSL)

टाटा स्टील लिमिटेड जो पहले टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (TISCO) के नाम से जाना जाता था, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक कंपनी है। यह विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त अनुज्ञप्ति के अधीन जमशेदपुर में विद्युत का वितरण कर रहा है।

TSL, पूर्व की भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के धारा 28(1) के तहत प्राप्त अनुज्ञप्ति/अनुच्छेद के द्वारा 1923 से जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में बिजली वितरण कर रहा है।

विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमन के पश्चात् TSL ने अधिनियमन के अनुच्छेद 15 के अधीन 24 दिसम्बर 2003 को वितरण अनुज्ञप्ति हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया। बाद में 12 जनवरी 2006 को झा०एस०ई०आर०सी० ने TSL को जमशेदपुर शहर के लिए 24 मार्च 2004 के प्रभाव से अनुज्ञप्ति जारी किया। अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र उत्तर में स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण में दक्षिण–पूर्व रेलवे के ट्रैक, जोजोबेड़ा मौजा की पूर्वी सीमाएँ और पूर्व में नीलहांड और पश्चिम में खरकाइ नदी द्वारा आच्छादित है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2999.62 MU के बिक्री की अनुमति दी।

स्टील अथॉरटो ऑफ इन्डिया लिमिटेड (SAIL)

भारत इस्पात प्राधिकरण, भारत सरकार का एक उपक्रम ने पूर्व के बिहार और अब झारखण्ड के बोकारो में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ई0 में की। इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु बोकारो इस्ताप लिमिटेड (सेल—बी एस एल) ने पूर्व की बिहार सरकार से 1964 ई0 में विद्युत अधिनियम 1910 के अनुच्छेद 28 के अधीन स्वीकृति प्राप्त की। तब से यह बोकारों मे निवास करनेवाले लोगों को बिजली का वितरण करता आ रहा है। यह डीवीसी एक अन्य भारत सरकार का उपक्रम से PPA के अन्तर्गत बिजली खरोदता है। इस प्रकार खरीदी गई बिजली का वितरण सयंत्र के संचालन के साथ—साथ बोकारो स्टील सिटी में इसके संचालन क्षेत्र में रहनेवाले लोगों के लिए किया जाता है।

जब विद्युत अधिनियम 2003 अस्तित्व में आया, विद्युत अधिनियम 1910 (जिसके तहत स्वीकृति प्रदान की गई थी) रद्द कर दिया गया। फिर सेल—बीएसएल में झा०एस०ई०आर०सी० को वितरण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिया। उचित प्रक्रिया के बाद, झा०एस०ई०आर०सी० ने सेल BSL का वितरण अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर लिया और इसका अनुज्ञप्ति क्षेत्र बोकारो स्टील सिटी बरकरार रखा जैसा कि तब के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत था।

पूरे बोकारो स्टील टाउनशिप के HT लोड के आवश्यकता की पूर्ति 132 KV /11 KV टाउनशिप सब स्टेशन से की जाती है। यह सब स्टेशन 1965 में स्थापित किया गया और बाद में यह विभिन्न चरणों में बोकारो स्टील सिटी टाउनशिप के विकास के साथ विस्तारित किया गया। टाउनशिप सब स्टेशन में 132 KV का स्विचयार्ड और 11 KV की इंडोर सब स्टेशन शामिल है। वहाँ 132 KV /11 KV के पाँच ट्रांसफार्मर हैं जिनकी कुल बिजली हैन्डलिंग क्षमता 62.5 MVA है। टाउनशिप सब स्टेशन 132 KV डबल सक्रिट ट्रांसमिशन लाइन से बिजली प्राप्त करता है। हालाकि भविष्य में बढ़ती ऊर्जा मांग की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सेल—बीएसएल मौजूद 132 KV/11KV टाउनशिप सब—स्टेशन की वृद्धि की योजना में 132KV स्विचयार्ड के साथ हाइब्रिड EHV स्विचगियर्स (आउअडोर GIS) और 11KV सब स्टेशन, सब स्टेशन इमारत, नये ट्रांसफारमर्स और नियंत्रण कक्ष जिसमें रिले ओर नियंत्रण उपकरण, सहायक, केवलिंग, रोशनी अर्थिंग और बिजली सुरक्षा आदि शामिल है।

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017—18 में 677.22 मेगावाट के बिक्री एवं कुल 656 उपभोक्ताओं की अनुमति दी।